बिहार सरकार,

समाज कल्याण विभाग।

वार्षिक प्रतिवेदन–2016–17

परिचय

समाज कल्याण विभाग महिलाओं, बच्चों, निःशक्तजनों, वृद्धजनों एवं समाज के अन्य अभिवंचित वर्गो के हितों तथा अधिकारों के संरक्षण, सम्वर्द्धन एवं प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार का महत्वपूर्ण विभाग है, जिसका मुख्य उद्देश्य इन समूहों की समेकित उन्नति एवं विकास के लिए संविधान, विभिन्न अधिनियमों, राज्यादेश एवं नियमावली के अनुसार नीतियाँ, कार्य योजनाएँ एवं कार्यक्रम तैयार कर उनका कार्यान्वयन करना है। वर्ष–2007 में कल्याण विभाग से अलग होने के पश्चात यह विभाग लगातार अपने उद्देश्यों की पूर्ति की ओर अग्रसर है।

कार्य एवं दायित्व

बिहार कार्यपालिका (संशोधित) नियमावली –2007 के अनुसार समाज कल्याण विभाग को निम्न कार्य आवंटित हैं :–

1. भिक्षुकों का पुनर्वास।
2. यौन कार्यकर्त्ताओं का पुनर्वास।
3. महिलाओं तथा बच्चों के कल्याण तथा सशक्तीकरण सम्बन्धी सभी कार्य।
4. महिलाओं तथा बच्चों के लिए विशेष पोषाहार योजना।
5. समाज कल्याण बोर्ड।
6. दहेज प्रथा का उन्मूलन।
7. महिला तथा बालकों के कल्याण, विकास तथा अधिकारिता से संबंधित सभी अधिनियमों का प्रशासन।
8. विभाग में नियोजित सभी पदाधिकारियों का नियंत्रण।
9. कल्याण बोर्ड तथा दत्तक ग्रहण से संबंधित सभी अधिनियमों का प्रशासन।
10. विभाग के दखल में स्थित सभी भवनों का प्रशासनिक प्रभार।
11. सभी प्रकार के विशेष सुधारगृहों का नियंत्रण एवं प्रशासन, जैसे बाल सुधार गृह, आब्ज़रवेशन होम, आफ्टर केयर होम, शेल्टर होम, विशेष गृह, शिशुगृह इत्यादि।
12. निःशक्त व्यक्तियों से संबंधित सभी अधिनियमों का प्रशासन तथा उनके कल्याणार्थ सभी योजनाओं का कार्यान्वयन।
13. वृद्धावस्था/सामाजिक सुरक्षा पेंशन का वितरण।
14. वरीय नागरिकों के कल्याण से संबंधित सभी कार्य एवं योजनायें।
15. निःशक्तता अधिनियम अन्तर्गत निःशक्तों के कल्याणार्थ चलाई जा रही सभी योजनाओं का कार्यान्वयन।
16. जाति प्रथा का उन्मूलन।
17. नशामुक्ति एवं नशाग्रस्त व्यक्तियों का पुनर्वास।

18. अपराधशील जनजातियों तथा समाज बहिष्कृत अन्य जातियों का पुनर्वासन।
19. भूतपूर्व अपराधशील जनजातियों के लिए विशेष गृह–निर्माण योजनाएँ।

विभागीय संगठनात्मक संरचना

वर्तमान में श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, समाज कल्याण विभाग की माननीया मंत्री हैं तथा श्रीमती वन्दना किनी, भा0प्र0से0, प्रधान सचिव के रूप में कार्यरत हैं। इनकी सहायता के लिए चार संयुक्त सचिव, दो विशेष कार्य पदाधिकारी एवं एक अवर सचिव कार्यरत हैं।

राज्य मुख्यालय स्तर पर विभाग की संगठनात्मक संरचना निम्नप्रकार हैः–

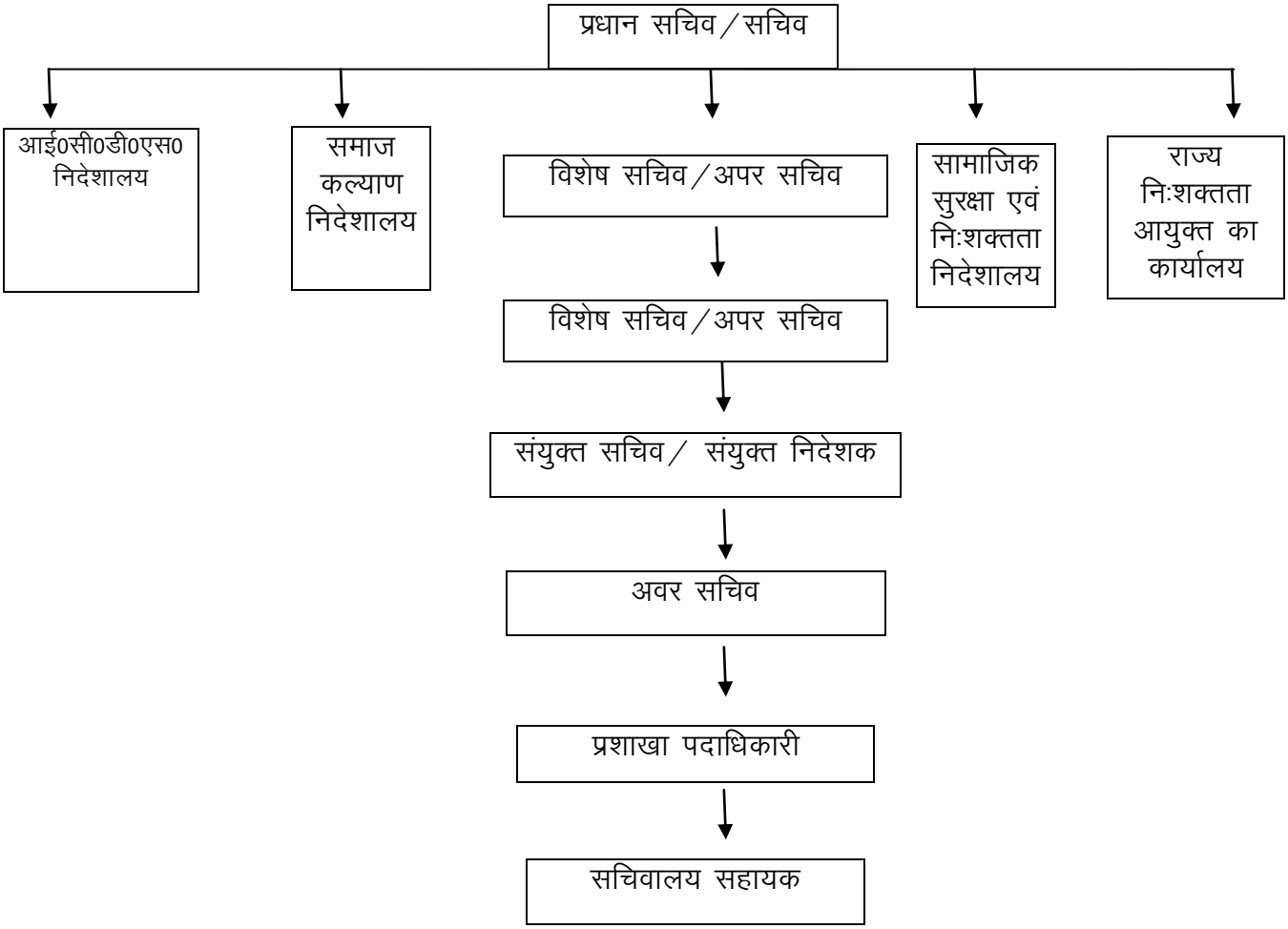

विभाग के अधीन तीन निदेशालय कार्यरत हैं, जिनके कार्य एवं दायित्व तथा संगठनात्मक ढ़ांचे निम्न प्रकार हैं :–

1. समेकित बाल विकास सेवाएँ (प्ब्क्ै) निदेशालय :– इस निदेशालय के द्वारा मुख्यतः आई0सी0डी0एस0 की योजना संचालित होती है, जिसके अन्तर्गत समेकित रूप से 0–6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती तथा धातृ महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार, स्कूल–पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, स्वास्थ्य जाँच, पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा संदर्भ सेवाएँ सहित छः प्रकार की सेवाएँ प्रदान की जाती

हैं। योजना के कार्यान्वयन हेतु नीतिगत विषयों, बजट, प्रशिक्षण संबंधी आवश्यक कार्य, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन आदि का कार्य भी होता है।

संगठनात्मक संरचना :– इसकी संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार हैः–

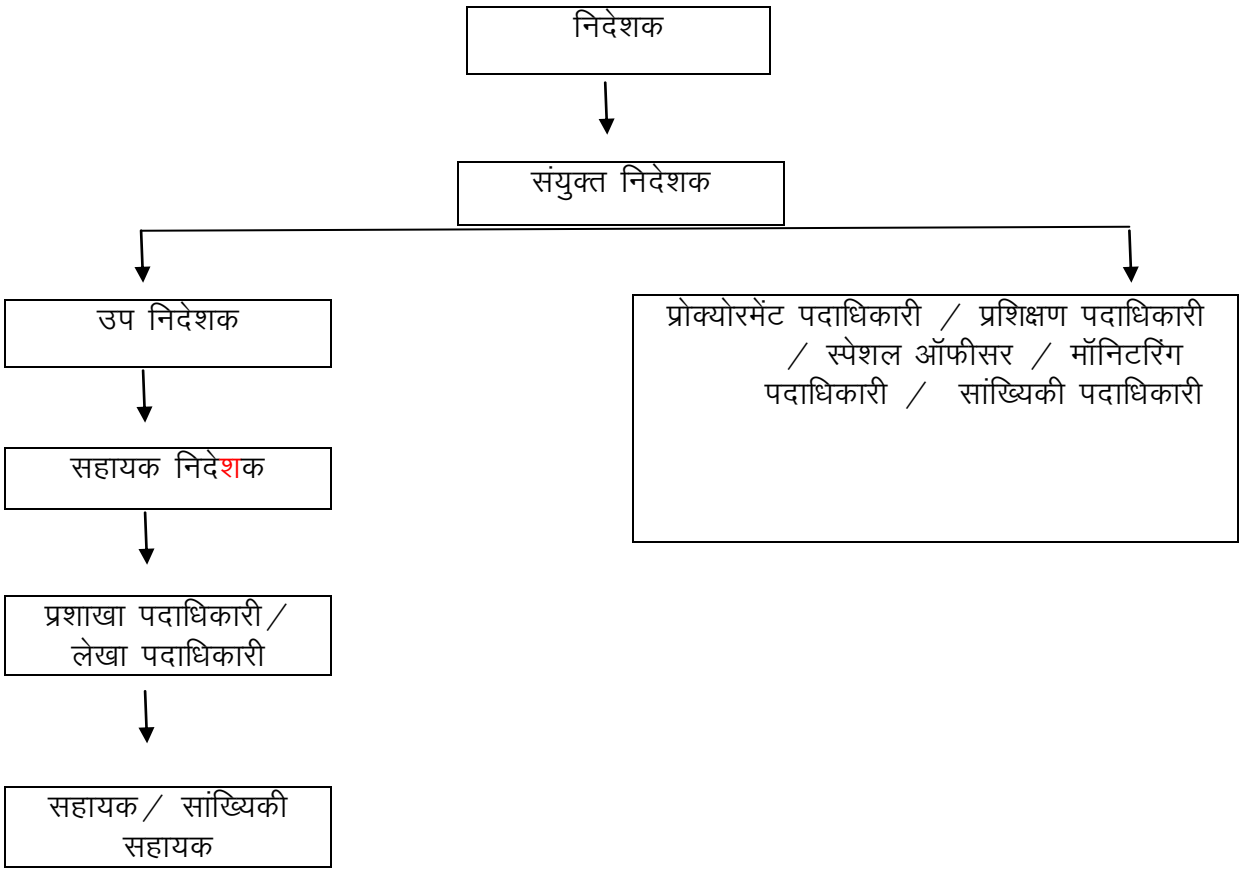

इस निदेशालय के अधीन प्रत्येक जिला में जिला प्रोग्राम पदाधिकारी तथा प्रत्येक प्रखण्ड में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का पद है, जिनके द्वारा योजनाओं के कार्यान्वयन, पर्यवेक्षण, निगरानी एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाता है।

2. समाज कल्याण निदेशालय :– यह निदेशालय किशोर न्याय अधिनियम, समेकित बाल संरक्षण योजना, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA), महिला सशक्तीकरण नीति, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, मानव व्यापार निषेध कार्यक्रम, कार्यस्थलों पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, अन्तर्जातीय विवाह, 'परवरिश' जैसे कार्यक्रमों से संबंधित है।

संगठनात्मक संरचना :– निदेशालय (मु०) की संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार हैः–

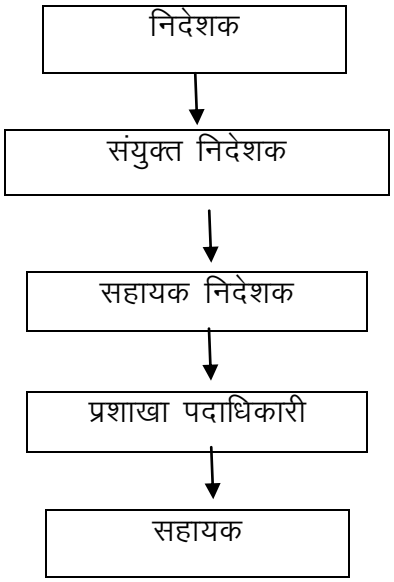

निदेशालय के अधीन एक राज्य बाल संरक्षण समिति तथा राज्य बाल संरक्षण इकाई गठित है, जिसकी संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार हैं:–

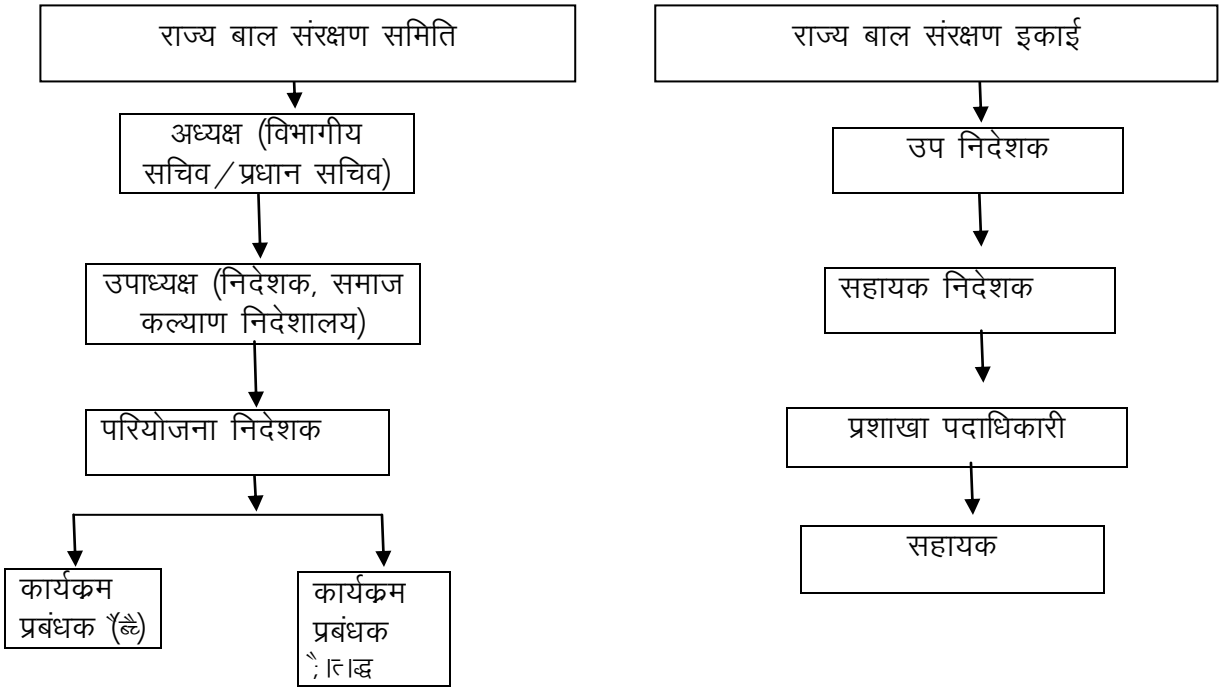

राज्य बाल संरक्षण इकाई के अधीन प्रत्येक जिला में एक सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई का पद है, जिनके द्वारा बाल संरक्षण अधिकार एवं विधि विवादित बच्चों के हितों की रक्षा हेतु समन्वयक का कार्य किया जाता है।

निदेशालय के अन्तर्गत राज्य में महिलाओं के सर्वांगीण विकास, गरीब और वंचित महिलाओं एवं किशोरियों के सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक सशक्तीकरण के उद्देश्य को पुरा करने हेतु दिनांक 28.11.1991 को **महिला विकास निगम** की स्थापना की गयी।

महिला विकास निगम का मुख्य कार्य महिला सशक्तीकरण नीतियाँ, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण तथा महिलाओं के प्रशिक्षण, अल्पावास गृह, हेल्प लाईन सहित उनके सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक क्षेत्रों की योजनाओं का कार्यान्वयन करना है।

संगठनात्मक संरचना :– महिला विकास निगम की संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार हैः–

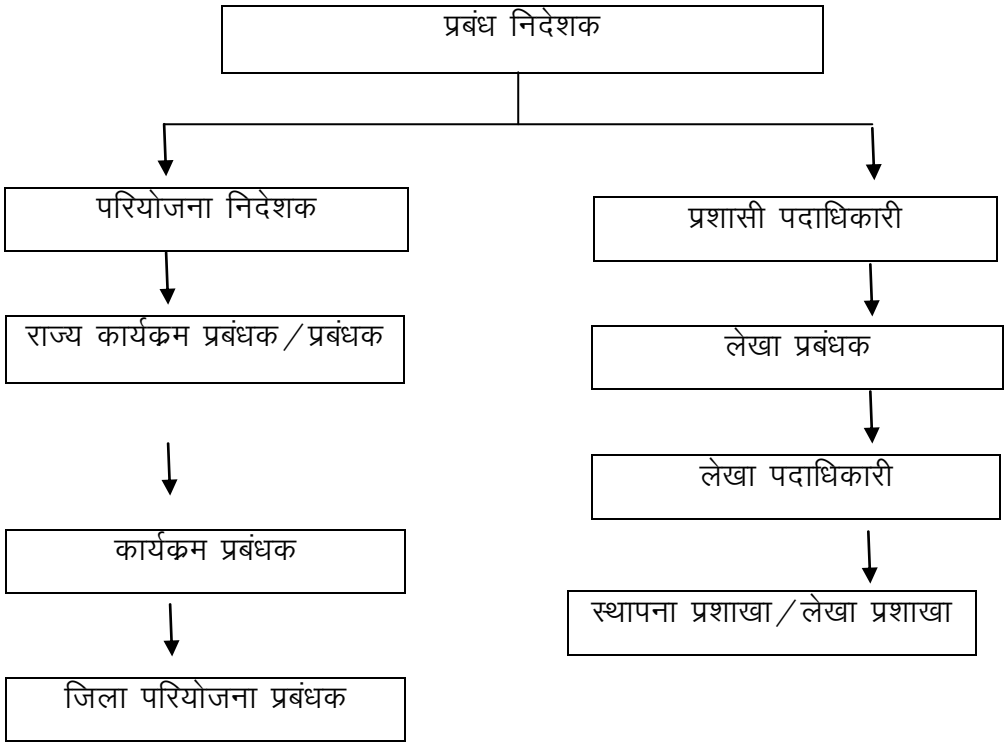

3. सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय :– इस निदेशालय में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाएँ, मृत्योपरान्त अनुग्रह अनुदान योजनाएँ, निःशक्तता कल्याण योजनाएँ एवं कार्यक्रम, भिक्षुकों एवं निराश्रितों का पुनर्वास, माता–पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों की अधिकारिता एवं कल्याण, नशा विमुक्ति एवं पुनर्वास, अपराधशील जनजाति/समुदायों का पुनर्वास आदि संबंधित कार्य संचालित होते हैं ।

<u>संगठनात्मक संरचना :–</u> इसकी संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार हैः–

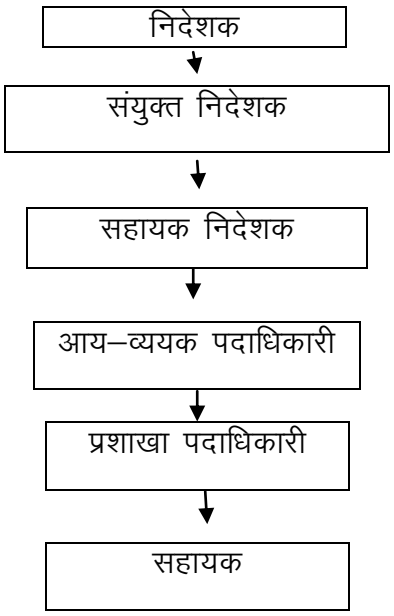

क्षेत्रीय स्तर पर प्रत्येक जिला में निदेशालय के अधीन एक सहायक निदेशक, जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग का पद है, जिनके द्वारा निदेशालय की योजनाओं के कार्यान्वयन का पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण का कार्य किया जाता है।

4. **<u>राज्य निःशक्तता आयुक्त का कार्यालयः–</u>** इस विभाग में राज्य निःशक्तता आयुक्त का कार्यालय भी है। इनके कृत्य निम्न हैंः–

- विकलांगजनों के अधिकारों की रक्षा एवं उनकी पूर्ण भागीदरी के लिए उनसे प्राप्त अवेदनों पर निर्णय कर उन्हें न्याय उपलब्ध कराना।
- गैर सरकारी संस्थाओं को विकलांगता के क्षेत्र में कार्य करने हेतु निःशक्तजन अधिनियम के अन्तर्गत निबंधन करना।
- निःशक्तता अधिनियम–1995 के प्रावधानों का विभिन्न विभागों/जिला पदाधिकारियों द्वारा किये जा रहे कार्यो का अनुश्रवण करना एवं तत्संबंधी अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त कर वार्षिक/अर्द्धवार्षिक प्रतिवेदन केन्द्र सरकार/राज्य सरकार को समर्पित करना।

<u>संगठनात्मक संरचना :–</u> इसकी संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार हैः–

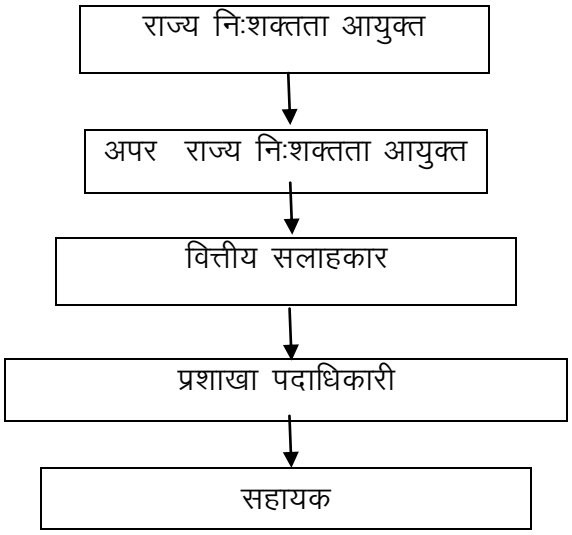

5. स्टेट सोसाईटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर ''सक्षम'' :– विभाग में स्टेट सोसाईटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर ''सक्षम'' गठित है, जो सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है। इसका लक्ष्य महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों, निःशक्तजनों, अतिनिर्धन वर्गो व भिक्षुकों के अधिकारों तथा उनके हितों की रक्षा करने हेतु समुचित नीतियों के निर्माण के माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास तथा सशक्तीकरण सुनिश्चित करना है।

<u>संगठनात्मक संरचना :–</u> इसकी संगठनात्मक संरचना निम्न प्रकार हैः–

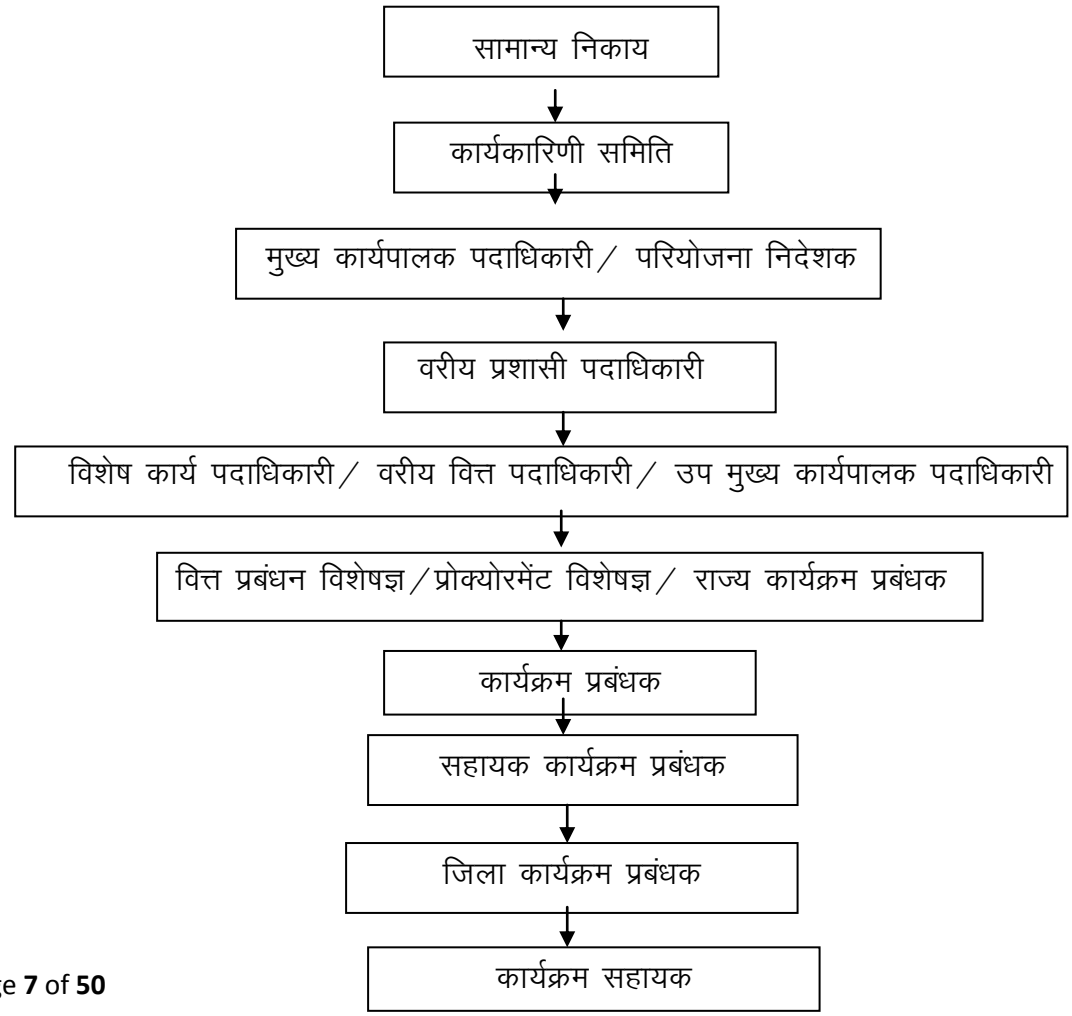

मुख्य योजनाएँ

विभाग के अधीन संचालित मुख्य योजनाएँ निम्नवत् हैं :–

महिला प्रक्षेत्र :

- मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना।
- मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना।
- मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना।
- अन्तर्जातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना।

बाल विकास प्रक्षेत्र :

- समेकित बाल विकास सेवा योजना।
- पूरक पोषाहार कार्यक्रम।
- आँगनबाड़ी केन्द्रों में स्कूल पूर्व शिक्षा के बच्चों के लिए पोशाक योजना।
- इंदिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना।

बाल संरक्षण प्रक्षेत्र :

- समेकित बाल संरक्षण योजना।
- बाल गृह, खुला आश्रय, विशिष्ट दत्तक ग्रहण संस्थान, विशेष गृह एवं पर्यवेक्षण गृहों का संचालन।
- परवरिश।

सामाजिक सुरक्षा प्रक्षेत्र :

- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम अन्तर्गत राष्ट्रीय पेंशन योजनाएँ :
  - इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन।
  - इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन।
  - इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन

- राज्य पेंशन योजनाएँ :
  - राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन।
  - लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन।
  - बिहार निःशक्तता पेंशन।

निःशक्तता प्रक्षेत्र :

विकलांग व्यक्तियों के कल्याणार्थ संचालित पूर्व की सभी योजनाओं को समेकित कर एक योजना–मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तीकरण योजना (सम्बल) बनायी गयी है। इसके अन्तर्गत निम्न योजनाएँ संचालित होती हैं :–

- कृत्रिम अंग एवं उपकरण का वितरण।
- विकलांग छात्रों के लिए छात्रवृत्ति।
- निःशक्तजनों को शिक्षा एवं स्वरोजगार हेतु ऋण।
- विशेष विद्यालयों का उन्नयन।
- विकलांग सर्वेक्षण।
- मानसिक रूप से विकलांगों के लिए नये विशेष विद्यालयों की स्थापना।

<u>मृत्योपरान्त देय अनुदान योजनाएँ :</u>

- राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना ।
- मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना।
- कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना।

<u>अन्य योजनाएँः–</u>

- बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण योजना (ठैैप्ै)
- बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना
- मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना
- वृद्धाश्रमों का निर्माण
- वन स्टॉप सेन्टर
- बेटी बचाओं बेटी पढ़ाओं

निदेशालयवार संचालित योजनाओं एवं अन्य कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी निम्न प्रकार है :—

<u>बाल विकास प्रक्षेत्र की योजनाएँ</u>

<u>समेकित बाल विकास सेवा योजना :—</u> वर्ष 1975 से प्रारंभ हुई समेकित बाल विकास सेवा योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना है। यह प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और विकास के लिए एक अनूठा सर्वव्यापी समुदाय आधारित कार्यक्रम है, जिसके अन्तर्गत बच्चों और महिलाओं की बहुआयामी तथा पारस्परिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कारगर तथा कम लागत पर सेवाएँ दी जाती है।

उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए समेकित रूप से निम्नलिखित छः सेवायें 0—6 वर्ष के बच्चों, गर्भवती तथा धात्री महिलाओं व किशोरी बालिकाओं को इस कार्यक्रम द्वारा प्रदान की जाती है :—

1. **पूरक पोषाहार**
2. **स्कूल पूर्व शिक्षा**
3. **टीकाकरण**
4. **स्वास्थ्य जॉच**
5. **पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा**
6. **संदर्भ सेवायें**

समेकित बाल विकास सेवाएँ (आई.सी.डी.एस.) निदेशालय द्वारा उपरोक्त सेवाओं के आधार पर भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निम्न योजनाओं का संचालन राज्य योजना अन्तर्गत किया जा रहा हैः—

<u>1. समेकित बाल विकास सेवा योजना (राज्य योजना—केन्द्रांश एवं राज्यांश)</u>ः— राज्य के सभी जिलों में 38 जिला प्रोग्राम कार्यालय एवं सभी प्रखंडों में 544 बाल विकास परियोजना कार्यालय स्वीकृत एवं संचालित है। भारत सरकार के निर्णय के आलोक में वित्तीय वर्ष 2015—16 के प्रभाव से छॅ ब्वेज ेैंतपदह तंजपव पूरक पोषाहार मद में 50रू50ए ैछच् मद में 90रू10ध्88रू12 तथा अन्य सभी योजनाओं में 60रू40 का अनुपात निर्धारित है।

वित्तीय वर्ष 2016—17 में स्थापना मद में दिनांक 13.02.17 तक केन्द्रांश में 19407.03 लाख रू० तथा राज्यांश में 13372.51 लाख रू० व्यय किये गए।

वित्तीय वर्ष 2017—18 में स्थापना मद में केन्द्रांश में 71563.25 लाख रू०, राज्यांश में 38990.11 लाख रू० एवं राज्य योजना में 12596.06 लाख रू0 का उदव्यय/बजट उपबन्ध प्रस्तावित है।

<u>2. पूरक पोषाहार कार्यक्रम (राज्य योजना—केन्द्रांश एवं राज्यांश):—</u> राज्य के सभी 38 जिलों के 544 बाल विकास परियोजनाओं में कुल स्वीकृत 91677 ऑगनवाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष के सभी सामान्य/कुपोषित बच्चों, सभी अतिकुपोषित बच्चों एवं सभी गर्भवती/शिशुवती महिला को पूरक पोषाहार प्रदान करने का प्रावधान रखा गया है।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार से नव स्वीकृत 23041 ऑगनवाड़ी केन्द्र (मिनी सहित) स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है।

वित्तीय वर्ष 2016—17 में पूरक पोषाहार मद में दिनांक 13.02.17 तक केन्द्रांश में 42305.47 लाख रू० तथा राज्यांश में 28606.34 लाख रू० व्यय किये गए।

वित्तीय वर्ष 2017—18 में पूरक पोषाहार मद में केन्द्रांश में 94255.34 लाख रू० तथा राज्यांश में 84409.87 लाख रू० का उदव्यय/बजट उपबन्ध प्रस्तावित है, जिसमें केन्द्रांश—विशेष घटक में 23563.84 लाख रू० तथा राज्यांश—विशेष घटक में 48692.00 लाख रू० तथा राज्यांश—जनजातीय योजना के लिए 8776.96 लाख रू० का उदव्यय/बजट उपबन्ध सन्निहित है।

3. ऑगनवाडी केन्द्र के बच्चों के लिए पोशाक योजना (राज्य योजना–सामान्य/विशेष घटक) :– राज्य के बाल विकास परियोजनाओं के अन्तर्गत कार्यरत सभी ऑगनवाडी केन्द्रों पर स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहें 3–6 वर्ष आयु के सभी बच्चों को रू. 250/– वार्षिक लागत की दर पर पोशाक की राशि दी जाती है। पोशाक मद में व्यय शत्–प्रतिशत राज्य योजना–राज्यांश मद से वहन का प्रावधान है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में 8895.70 लाख रू० बजट उपबंध प्राप्त है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में 10003.94 लाख रू० का उदव्यय/बजट उपबन्ध प्रस्तावित है, जिसमें विशेष घटक के रूप में 2500.94 लाख रू० सन्निहित है।

4. एम.आई.एस. प्रणाली (राज्य योजना) – आई.सी.डी.एस. योजना के अन्तर्गत मैनेजमेंट इनफोरमेसन सिस्टम को सुदृढ़ करने हेतु राज्य स्तर पर डाटा सेन्टर की स्थापना की गई है। जिला/परियोजना स्तर पर संबंधित कार्यालयों में कम्प्यूटर की व्यवस्था की गयी है, साथ ही उक्त कार्यालयों में कम्प्यूटर के संधारण हेतु बेल्ट्रॉन/जिला स्तरीय पैनल से डाटा इन्ट्री ऑपरेटर की सेवाएँ उपलब्ध करायी गयी है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में दिनांक 13.02.17 तक 602.03 लाख रू० व्यय किये गए।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में 900.00 लाख रू० का उदव्यय/बजट उपबन्ध प्रस्तावित है।

5. किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला) :– राज्य के 12 जिलों यथा– पटना, बक्सर, गया, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, प0 चम्पारण, वैशाली, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, बांका एवं मुंगेर में किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए ''सबला'' कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2011–12 से प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत किशोरी बालिकाओं को स्वाबलंबी बनाने के साथ–साथ पूरक पोषाहार भी प्रदान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2015–16 से भारत सरकार से निर्धारित अनुपात में गैर–पोषण एवं पोषण मद में राज्य योजना–केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात क्रमशः 60:40 एवं 50:50 है। वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल 20 लाख किशोरी बालिकाओं को पूरक पोषाहार तथा 16 से 18 वर्ष की आयु समूह की स्कूल नहीं जानेवाली किशोरी बालिकाओं को व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान कर शारीरिक एवं आर्थिक रूप से समृद्ध किया जाना है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में दिनांक 13.02.17 तक सबला मद में केन्द्रांश में 2041.20 लाख रू० तथा राज्यांश में 1800.78 लाख रू॰ का व्यय किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में सबला मद में केन्द्रांश में 154.01 लाख रू० तथा राज्यांश में 5102.67 लाख रू० का उदव्यय/बजट उपबन्ध प्रस्तावित है, जिसमें राज्यांश–विशेष घटक के रूप में 1275.66 लाख रू० का उदव्यय/बजट उपबन्ध सन्निहित है।

6. इंदिरा गॉधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन :– राज्य के दो जिलों यथा –वैशाली एवं सहरसा में इंदिरा गॉधी मातृत्व सहयोग योजना वित्तीय वर्ष 2011–12 से लागू किया गया है। इस योजना के तहत गभर्वती एवं शिशुवती महिलाओं को वित्तीय वर्ष 2013–14 से भारत सरकार द्वारा रू. 6000/– की नगद प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में प्रदान किए जाने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2016–17 से भारत सरकार से निर्धारित अनुपात में राज्य योजना–केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 है। इस योजना के तहत् गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को मातृत्व अनुदान प्रदान करना है एवं राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के कार्यकलापों के सफल संचालन हेतु राशि उपलब्ध कराना है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में दिनांक 13.02.17 तक इंदिरा गॉधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन मद में राज्यांश में 11.34 लाख रू॰ का व्यय किये गये हैं।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में इंदिरा गॉधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन मद में केन्द्रांश में 5153.46 लाख रू० तथा राज्यांश में 3435.64 लाख रू० का उदव्यय/बजट

उपबन्ध प्रस्तावित है, जिसमें राज्यांश–विशेष घटक में 858.91 लाख रू० का उदव्यय/बजट उपबन्ध सन्निहित है।

7. आई.सी.डी.एस. प्रणाली पोषण सुधार एवं सुदृढ़ीकरण योजना (आई.एस.एस.एन.आई.पी.) बाह्य सम्पोषित योजना :– भारत सरकार से सहयोग प्राप्त योजना ICDS System Strengthening & Nutrition Improvement Project (ISSNIP) विश्व बैंक सम्पोषित है, जिसके द्वारा आई.सी.डी.एस. के माध्यम से बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा तथा पोषण और स्वास्थ्य संबंधी परिणामों की प्राप्ति, सामुहिक सहभागिता, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के माध्यम से बेहतर सेवा प्रदान करने का लक्ष्य है। इस योजना को वर्ष 2013–14 से बिहार राज्य के 19 जिलों यथा– समस्तीपुर, मधुबनी, पूर्वी चम्पारण, वैशाली, पश्चिमी चम्पारण, मधेपुरा, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, सीतामढ़ी, दरभंगा, सुपौल, जमुई, पूर्णियाँ, गोपालगंज, लखीसराय, सहरसा, भागलपुर, बक्सर एवं जहानाबाद के सभी 281 परियोजनाओं के कुल 43292 आँगनबाड़ी केन्द्रों पर कार्यक्रम संचालित है।

आई.सी.डी.एस. द्वारा विगत चार वर्ष में कई नई पहल किए गए हैं एवं मुख्य सेवाओं के गुणवत्ता में भी सुधार लाने का प्रयास किया गया हैं। इन सभी कार्यक्रमों के परिणाम जानने हेतु एक सक्षम एवं सुगम अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण प्रणाली का होना अति आवश्यक है। इस दिशा में Restructured ISSNIP के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए Information Communication Technology-Real Time Monitoring (ICT-RTM) को क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया है। ICT-RTM के द्वारा कार्यकर्त्ताओं की कार्यक्षमता में वृद्धि, बेहतर परिणाम, Concurrent Monitoring और Fact based timely Dicision लेने में सहायक होगा।

उक्त योजना के अंतर्गत निम्न कार्य वित्तीय वर्ष 2016–17 तक किये गये हैं :–

- सभी जिलों में बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान के संदेशों को समुदाय के अंतिम पायदान तक पहुँचाने हेतु नुक्कड़–नाटक का दो चरणों (प्रथम चरण अक्टूबर, 2014 एवं द्वितीय चरण मार्च, 2015) में सफल मंचन किया गया। जिसमें कुल 3140 Shows का मंचन किया गया।
- सभी आँगनबाड़ी केन्द्रों में प्रत्येक माह के 19 तारीख को अन्नप्रासन (ऊपरी आहार) कार्यक्रम का आयोजन निरंतर किया जा रहा है।
- संवर्धित क्षमता विकास ;प्स।द्ध कार्यक्रम का उप–स्वास्थ्य केन्द्र/सेक्टर स्तर तक संचालन हेतु स्वास्थ्य एवं समाज कल्याण विभाग के संयुक्त हस्ताक्षरोपरान्त दिशानिर्देश का प्रेषण किया गया है।
- संवर्धित क्षमता विकास (ILA) कार्यक्रम का उप–स्वास्थ्य केन्द्र/सेक्टर स्तर तक संचालन हेतु जिला संसाधन समूह (DRG) एवं प्रखंड संसाधन समूह (DRG) का गठन किया गया है। कुल 190 जिला संसाधन समूह (DRG) के सदस्यों को मॉड्यूल 1 से 12 तक प्रशिक्षण दिया जा चुका है एवं ग्राम स्तर तक Roll-Out (BRG) सदस्यों के द्वारा किया जा रहा है।

ैछप्च योजना के अंतर्गत निम्न कार्य वित्तीय वर्ष 2017–18 में प्रस्तावित हैं :–

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा ISSNIP परियोजना का पुर्नगठन किया गया है। जिसके अंतर्गत क्रमिक क्षमता विकास (ILA), अन्नप्रासन एवं ICT-RTM का क्रियान्वयन छः चयनित जिलों समस्तीपुर, भागलपुर, बक्सर, जहानाबाद, लखीसराय एवं सीतामढ़ी के कुल 12760 आँगनबाड़ी केन्द्रों का चयन किया गया है।
- पुर्नगठित ISSNIP में Information Communication and Technology enabled-Real Time Monitoring (ICT-RTM) गतिविधि को सम्मिलित किया गया है। प्रथम

चरण में उक्त गतिविधि का क्रियान्वयन छः चयनित जिलों समस्तीपुर, भागलपुर, बक्सर, जहानाबाद, लखीसराय एवं सीतामढ़ी के कुल 12760 आँगनबाड़ी केन्द्रों का चयन किया गया है।

ISSNIP योजना के घटक–3 (Conversant Nutrition Action) के अंतर्गत एक प्रायोगिकी (Pilot) का प्रावधान किया गया है। जिसका मुख्य उद्देश्य समेकित बाल विकास सेवाएँ (ICDS) द्वारा स्वास्थ्य एवं पोषण संबंधी दी जाने वाली सेवाएँ की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु स्थानीय स्तर पर जन प्रतिनिधियों के द्वारा सतत, अनुश्रवण, गुणवत्ता का मूल्यांकन, उपलब्ध संसाधनों का उपयोग एवं Key Health & Nutrition Messages पर Advocacy इत्यादि में जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को बढ़ावा देना है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित विषय ""Advocacy Communication and Social Mobilization through Elected Representative" का क्रियान्वयन प्रयोग के तौर पर दरभंगा जिला में किया जाना है। जिसे बाद में प्रायोगिकी की सफलता के आकलन के पश्चात विस्तारित भी किया जा सकता है।

8. आई.सी.डी.एस. अन्तर्गत ऑगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण

ऑगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण का कार्य विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किया जा रहा है, जिसकी अद्यतन स्थिति निम्नांकित है :–

- कुल ऑगनवाडी केन्द्र – 91677 + 23041 त्र 114718
- केन्द्र सरकार द्वारा स्वीकृत नया ऑगनवाडी केन्द्र – 23041 (नव स्वीकृत केन्द्रों को जिलावार ग्रामीण परियोजनाओ में आवंटन प्रक्रियाधीन है)
- भवन पूर्ण – 26097
- निर्माणाधीन भवन – 13977
- भूमि उपलब्ध, निर्माण प्रारम्भ नहीं – 25529
- भूमि अनुपलब्ध –49115

वित्तीय वर्ष 2016–17 में ऑगनवाड़ी केन्द्र भवन निर्माण हेतु केन्द्रांश की राशि 7200.00 लाख रू0 एवं राज्यांश की राशि 3601.00 लाख रू0 उपलब्ध है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में मनरेगा एवं आई.सी.डी. एस. के अभिसरण से 1000 ऑगनवाडी केन्द्र भवन का निर्माण कार्य ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कराया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2017–18 में मनरेगा एवं आई.सी.डी.एस. के अभिसरण से 12000 ऑगनवाडी केन्द्र भवन का ग्रामीण विकास विभाग द्वारा निर्माण कराने हेतु केन्द्रांश की राशि 14401.00 लाख रू0 एवं राज्यांश की राशि 1600.02 लाख रू0 का उद्व्यय/बजट उपबंध प्रस्तावित है।

9. सामाजिक अंकेक्षण :– ऑगनवाड़ी केन्द्रों के क्रियाकलापों एवं कार्यक्रमों को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु सामाजिक अंकेक्षण एक कारगर उपाय है। इसके अन्तर्गत समुदाय के द्वारा ऑगनवाड़ी केन्द्रों का लेखा–जोखा लिया जाता है जो सशक्तिकरण का प्रभावशाली माध्यम है। समाज कल्याण विभाग के पत्रांक 2961 दिनांक 22.05.2014 द्वारा निर्गत संशोधित सामाजिक अंकेक्षण मार्गदर्शिका के अनुसार वर्ष में दो बार अनिवार्य रूप से सामाजिक अंकेक्षण किये जाने का प्रावधान किया गया है। इस वित्तीय वर्ष 2016–17 में 21 जून और 20 दिसम्बर को राज्य के लगभग सभी कार्यरत आंगनबाड़ी केन्द्रों पर सामाजिक अंकेक्षण का कार्य सम्पन्न किया गया है।

10. मिशन मानव विकास :– मिशन मानव विकास के अंतर्गत कुपोषण मुक्त बिहार अभियान की रूपरेखा तैयार की गई है एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा इस अभियान की सफलता हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई को पूरा कर 11 अक्टूबर, 2014 से बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान सभी ऑगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रारम्भ किया गया है। इस अभियान के अंतर्गत निम्नांकित बिन्दुओं पर जोर दिया जा रहा है :–

- जन्म के तुरंत बाद (एक घंटे के भीतर) स्तनपान।
- जन्म से 6 माह तक केवल माँ का दूध (पानी भी नहीं)।
- सातवें महीने से उपरी आहार की शुरूआत, और उसके साथ स्तनपान भी।
- बाल्यवास्था के रोगों से बचाव तथा रोकथाम।
- स्वच्छ पानी (उबला एवं फिल्टर किया हुआ) का सेवन।
- हाथों की साफ–सफाई तथा स्वच्छता पर विशेष ध्यान यथा शौच के बाद, खाना बनाने के पहले और खाना खाने व बच्चों को खाना खिलाने के पहले साबुन से हाथ धोना।
- 6 माह से 36 माह के बच्चों की वृद्धि निगरानी।
- 6 माह से 36 माह के बच्चों के लिए पूरक आहार के लिए व्यंजन, प्रत्येक माह के 19 तारीख को पोषाहार (ऊपरी एवं पूरक) बनाने एवं खिलाने की विधि की प्रदर्शनी।
- आशा एवं ऑगनबाड़ी सेविका के पास ओ.आर.एस. एवं अन्य आवश्यक दवाईयों की उपलब्धता।
- पोषाहार में अंडा/सोयाबड़ी उपलब्ध कराना।
- आंगनबाड़ी विकास समिति का गठन एवं केन्द्र संचालन में सहयोग।

अभियान की सफलता हेतु स्वास्थ्य, शिक्षा, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण, पंचायती राज, ग्रामीण विकास एवं नगर विकास विभाग की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु विभाग का सतत् प्रयास जारी है।

महिला प्रक्षेत्र

महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा सारंस्कृतिक प्रगति के लिए तथा उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा में लाने, भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकारों, कर्त्तव्यों और राज्य के नीति निदेशक सिद्धान्तों में लैंगिक समानता के सिद्धान्त तथा राज्य सरकार के सुशासन के कार्य सूची में दी गयी सर्वोच्च प्राथमिकता के अनुरूप राज्य में बिहार राज्य महिला सशक्तीकरण नीति–2015 विभागीय संकल्प संख्या– 506 दिनांक 21.03.2015 द्वारा लागू की गयी है।

नीति के उद्देश्यों की पूर्ति की श्रृंखला में विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की उपलब्धि के संबंध में स्थिति निम्न प्रकार हैः–

1. **मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना :–**इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना एवं बाल विवाह को रोकना है। इस योजना के तहत बी0पी0एल0 परिवार तथा ऐसे अन्य परिवार जिनकी आय 60,000/– रूपये तक हो, की कन्या को विवाह के समय मात्र 5000/– रूपये का भुगतान कन्या के नाम चेक/डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा करना है।

   सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0–11428 दिनांक–15.08.2012 के द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना को लोक सेवा के अधिकार अधिनियम में शामिल किया गया है। प्रखण्ड विकास पदाधिकारी नामनिर्दिष्ट लोक सेवक घोषित किये गये है जिनके द्वारा निधि की उपलब्धता के 15 कार्यदिवसों के अंदर योजना का लाभ उपलब्ध कराया जाना है।

   वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल रू0 3900.00 लाख का योजना उद्व्यय/बजट उपबंध जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए विशेष योजना घटक के लिए कुल रू0 1500.00 लाख तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल रू0 381.00 लाख सन्निहित है। उक्त योजना उद्व्यय/बजट उपबंध के विरूद्ध 77,219 कन्याओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है। उक्त उपबंधित राशि के विरूद्ध जिलों को कुल रू0 2938.09 लाख आंवटित किया है जिसके विरूद्ध 9 फरवरी, 2017 कुल रू0 622.40 लाख मात्र व्यय किया गया है।

   आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल रू0 1268.67 लाख का योजना उद्व्यय/बजट उपबंध प्रस्तावित है जिसमें अनुसूचित जातियों के लिए विशेष योजना घटक के लिए कुल रू0 250.00 लाख तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए कुल रू0 307.10 लाख सन्निहित है।

2. **अंर्तजातीय विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना :–**समाज में जाति प्रथा को समाप्त करने, दहेज प्रथा को हतोत्साहित करने तथा छूआछूत की भावना को समाप्त करने के उद्देश्य से अंर्तजातीय विवाह करने वाली महिला को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह योजना लागू की गई है। इसके अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अंर्तजातीय विवाह करने वाली महिला को आर्थिक दृष्टि से सबल बनाने हेतु 1,00,000/– अनुदान के रूप में दिया जाता है, जो विवाह सम्पन्न होने के तीन महीने के भीतर

संबंधित वधू को अधिकतम परिपक्वता राशि देने वाले राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा प्रमाण पत्र के माध्यम से भुगतान किया जाता है, जिसकी अवरूद्धता की अवधि न्यूनतम तीन वर्षों की होती है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में अंर्तजातीय विवाह मद में कुल 500.00 लाख रूपये मात्र बजट उपबंध उपलब्ध है, जिसके विरूद्ध जिलों को कुल 358.50 लाख मात्र आवंटित किया गया है। उक्त आवंटित राशि के विरूद्ध अब तक कुल 58.50 लाख मात्र व्यय किया गया है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 700.00 लाख मात्र का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

3. **राज्य सदन एवं संरक्षण आश्रय गृह :–**राज्य सरकार द्वारा पटना जिले में एक–एक उत्तर रक्षा गृह संचालित है। इस गृह के बेहतर प्रबंधन के मद्देनजर एवं आवासिनों को गुणवत्तापूर्ण देखभाल एवं प्रशिक्षण इत्यादि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से दिनांक–16.10.2014 को उत्तर रक्षा गृह, गायघाट, पटना की विस्तारित इकाई नाजरथ अस्पताल सोसायटी, मोकामा, का शुभारंभ किया गया है। इस क्रम में नाजरथ अस्पताल सोसायटी, मोकामा एवं समाज कल्याण निदेशालय के मध्य एक मेमोरेन्डम ऑफ अन्डरस्टैंडिग (ङब्) हस्ताक्षरित किया गया है। उक्त गृहों के संधारणार्थ वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल रू0 199.98 लाख मात्र का बजट उपबंध है जिसके विरूद्ध कुल रू0 144.73 लाख आवंटित किया गया है। उक्त आवंटित राशि के विरूद्ध अब तक कुल रू0 94.95 लाख का व्यय किया गया है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में इसके संधारणार्थ 289.39 लाख का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

4. **आसरा : –**समाज कल्याण निदेशालय द्वारा संचालित उत्तर रक्षा गृह एवं बालिका गृह (निशांत) गायघाट, पटना में मानसिक विक्षिप्त/मानसिक विकलांग आवासिनों की उचित देख–रेख, काउन्सिलिंग, शिक्षण–प्रशिक्षण के लिए राज्य के पटना जिला में 50 बिस्तरवाला एक गृह 'आसरा' का संचालन स्वयंसेवी संस्था द्वारा किया जा रहा है।

5. **निर्भया :–**महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्भया योजना के तहत वन स्टॉप सेन्टर एक शत–प्रतिशत केन्द्र प्रायोजित योजना है। इस योजना का उद्देश्य निजी एवं सार्वजनिक स्थलों पर एक छत के नीचे हिंसा से प्रभावित महिलाओं को एकीकृत रूप से सहायता प्रदान करना एवं प्रभावित महिलाओं के प्रति हिंसा के विरूद्ध जागरूकता को बढ़ावा देने हेतु चिकित्सकीय, विधिक, मनोवैज्ञानिक सलाह सहित आकस्मिक एवं गैर–आकस्मिक सेवाएँ प्रदान करना है। इस योजना के तहत महिलाओं की जाति, समुदाय, धर्म, क्षेत्रीयता, लैंगिक अथवा वैवाहिक स्थिति से निरपेक्ष वन स्टॉप सेन्टर पर अठ्ठारह वर्ष के ऊपर की सभी महिलाओं को प्रोत्साहित किया जाना है। साथ ही अठ्ठारह वर्ष से नीचे की लड़कियों के लिए किशोर अपराध न्याय अधिनियम–2015 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 को वन स्टॉप सेन्टर से जोड़ा जाना है। इस योजना के तहत पटना में एक वन स्टॉप सेन्टर का संचालन किया जा रहा है।

6. **बिहार राज्य महिला आयोग :–**बिहार राज्य महिला आयोग का गठन महिला जागृति, उनके अधिकार सुनिश्चित करने, महिला प्रताड़ना तथा महिलाओं की समस्याओं का निराकरण करने तथा सामाजिक

कुरीतियों इत्यादि के मामलों में महिलाओं को न्याय दिलाने हेतु किया गया है। बिहार राज्य महिला आयोग का कार्य, राज्य में महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु सुरक्षा के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन हेतु प्रतिवेदन में अनुशंसा करना, महिलाओं को प्रभावित करनेवाले विद्यमान उपबंधों और विधियों का समय–समय पर पुर्नवलोकन करना और उनके बारे में संशोधन की अनुशंसा करना, विधान में किसी कमी, अपर्याप्तता या कमजोरियों को ठीक करने हेतु सुधारात्मक विधायी अध्युपायों के संबंध में परामर्श देना तथा राज्य में महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अत्याचारों और महिलाओं से संबंधित विधियों के उल्लंधन के सभी मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष लाना तथा संबंधित विषयों पर शिकायतों की जॉच करना आदि है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में बिहार राज्य महिला आयोग के संधारणार्थ कुल रू0 150.00 लाख मात्र का बजट उपबंध है जिसके विरूद्ध सम्पूर्ण राशि आवंटित कर दी गयी है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में बिहार राज्य महिला आयोग के संधारणार्थ 150.00 लाख का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

महिला विकास निगम

महिला विकास निगम, बिहार का निबंधन सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 की धारा 21 के अंतर्गत सन् 1991 में किया गया। 2016 में निगम ने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पुरे कर लिये हैं, इन 25 वर्षों में निगम ने अपने निरंतर प्रयास से राज्य में न केवल अपनी पहचान स्थापित की है, बल्कि राज्य में महिलाओं के विकास के उद्देश्य को पूरा करते हुए गरीब और वंचित महिलाओं एवं किशोरियों के सामाजिक, आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है।

महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण हेतु महिला विकास निगम राज्य में नोडल एजेंसी के रूप में कार्य कर रही है। निगम द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–2017 में संचालित मुख्य योजनायें निम्नवत् हैंः–

राज्य संपोषित

1. **मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजनाः–**

   राज्य की महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा संपोषित 'मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना' का संचालन किया जा रहा है।

उद्देश्यः–

1. राज्य की महिलाओं एवं किशोरियों का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण
2. राज्य में महिला संसाधन केन्द्र की स्थापना एवं संचालन
3. सेवा प्रक्षेत्र के अंतर्गत महिलाओं एवं किशोरियों का कौशल उन्नयन एवं रोजगार उपलब्ध कराना
4. अध्ययन एवं विकास

A आर्थिक सशक्तिकरण

(क) सेवा प्रक्षेत्र के विभिन्न ट्रेडों यथा कंप्यूटर, ब्यूटिशियन, हाउस कीपिंग, सेल्स मैनेजमेंट, रोगी परिचारिका, नर्सरी शिक्षक प्रशिक्षण, मोबाईल रिपेयरिंग, वाहन चालक आदि में कुल 23320 महिलाओं एवं किशोरियों का कौशल उन्नयन किया गया है। इस मद में होने वाले व्यय का वहन मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना एवं डी.एफ.आई.डी. संपोषित स्वस्थ परियोजना मद में उपलब्ध राशि से किया गया है।

(ख) महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने हेतु राज्य में महिला उद्यमियों का क्षमता वर्द्धन, कौशल उन्नयन, बैंक लिंकेज सुनिश्चित करना आई. सी. एफ. के तहत 57 फेडरेशन को कुल 2725.93 लाख का ऋण रोजगार हेतु स्वयं सहायता समूहों के बीच वितरित किया जा चुका है।

(ग) मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के अंतर्गत जुलाई 2014 तक 19 जिलों के 68 प्रखंडों में कुल गठित 66924 स्वयं सहायता समूहों को जीविका को हस्तान्तरित किया गया है। राज्य में गठित स्वयं सहायता समूहों में सामाजिक मुद्दों, जेंडर एवं महिला संबंधी अधिनियमों की जानकारी महिलाओं को दी जाती है।

B सामाजिक सशक्तिकरणः–

(क) महिला हेल्पलाईनः– महिला हेल्पलाईन का मुख्य उद्देश्य हिंसा एवं अत्याचार से पीड़ित महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सेवा, प्राथमिकी दर्ज कराने में सहयोग, आवश्यक परिस्थिति में अल्पकालीन आवासीय व्यवस्था, एवं व्यवसायिक प्रशिक्षण द्वारा दीर्घकालीन पुर्नवास की व्यवस्था की सुविधा प्रदान किया जाना है।

2016–17 में राज्य के कुल 38 जिला में महिला हेल्पलाईन का संचालन किया जा रहा है। महिला हेल्पलाईन में अबतक कुल 46148 मामले दर्ज किये गये हैं जिसमें से 36268 (78.5 प्रतिशत) मामलों का निश्पादन परामर्श के आधार पर किया गया है।

दिसम्बर, 2016 तक महिला हेल्पलाईन की प्रगति निम्नवत हैंः–

वाद का प्रकार	निबंधित वाद	निष्पादित वाद
घरेलू हिंसा	25853	20206
दहेज प्रताड़ना	5134	3903
दहेज हत्या	228	206
द्वितीय विवाह	1300	1005
सम्पत्ति सम्बन्धी	1435	1178
यौन शोषण	878	691
मानव व्यापार	450	432
अन्य	10870	8647
कुल	**46148**	**36268**

(ख) महिला अल्पावास गृहः– उत्पीड़ित महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पुर्नवासित करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा 23 जिलों में 25 बिस्तर की क्षमता के एक ईकाई अल्पावास गृह का संचालन किया जा रहा है तथा शेष 15 जिलों में संचालन हेतु कार्रवाई की जा रही है। अल्पावास गृह में वित्तीय वर्ष 16–17 में कुल 1642 महिलाओं/किशोरियों को निःशुल्क आश्रय, भोजन, चिकित्सा सुविधा आदि उपलब्ध कराया गया है तथा इनमें से 1413 महिलाओं को पुर्नवासित किया जा चुका है।

(ग) कामकाजी महिला छात्रावासः– कामकाजी महिलायें जो अपने घर–परिवार से दूर शहरों में, चाहे वे किसी अस्पतालों, महाविद्यालयों, विद्यालयों अथवा किसी कार्यालय में कार्यरत हों, जो विधवा या परित्यक्ता हैं, किसी संस्था में नियोजित हों, उनके लिये सरकार द्वारा राज्य के 5 प्रमंडलों में महिला छात्रावास का संचालन किया जाना प्रस्तावित है।

2016–17 में पटना जिला में कामकाजी महिला छात्रावास का संचालन किया जा रहा है तथा शेष 4 प्रमंडलो यथा मुजफ्फरपुर, गया, भागलपुर एवं दरभंगा में कामकाजी महिला छात्रावास की स्थापना हेतु कार्रवाई की जा रही है।

(घ) **रक्षा गृहः–** जो महिलायें एवं किशोरियाँ अनैतिक मानव पणन निषेध अधिनियम, 1956 एवं घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम–2005 के तहत उत्पीड़ित हैं, उन्हें पुर्नवासित करने के उद्देश्य से पटना जिला में रक्षा गृह स्थापित किया गया है। इसके तहत उन्हें व्यावसायिक प्रशिक्षण देकर आत्मनिर्भर बनाया जाता है। वित्तीय वर्ष 2016–17 से पटना जिला में 50 विस्तार के एक इकाई रक्षा गृह का संचालन गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से किया जा रहा है।

(ड़) **सामाजिक जागरूकताः–** राज्य के 38 जिलों में सेमीनार का आयोजन, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से राज्य के सभी प्रखंडों में महिला मुद्दों पर जागरूकता कार्यक्रम, अखबारों में विज्ञापन, रेडियों जिंगल आदि के द्वारा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में सभी जिलों को महिला संबंधित मुद्दों यथा – घरेलू हिंसा, दहेज, बाल विवाह, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, शराबबंदी एवं शौचालय निर्माण के प्रति जागरूकता के लिए स्वयं सहायता समूहों, नवनिर्वाचित पंचायत प्रतिनिधियों, पुलिस, पारालीगल कॉडर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं आदि के माध्यम से विभिन्न प्रकार की जागरूकता सामग्रियों के द्वारा प्रचार–प्रसार किया गया है। इसके अतिरिक्त इन मुद्दों पर विभिन्न जिलों में होर्डिंग, समाचार पत्रों में विज्ञापन, रेडियों जिंगल का प्रसारण भी किया जा रहा है।

(च) **सामाजिक पुनर्वास कोषः–** इस कोष का उपयोग महिलाओं एवं उनके बच्चों के पुर्नवास (चिकित्सकीय, शैक्षणिक, आर्थिक एवं सामाजिक) की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है जिन्हें कठिन परिस्थितियों विशेष संरक्षण एवं सुरक्षा की अत्यंत आवश्कता है। इस योजना के अंतर्गत कुल 48.99 लाख का वितरण 904 लाभार्थियों के बीच किया गया है।

C **सांस्कृतिक सशक्तिकरणः–** महिलाओं/बालिकाओं से संबंधित विभिन्न दिवसों यथा–अंर्तराष्ट्रीय महिला दिवस, विश्व स्तनपान दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस आदि के अवसर पर जिला एवं मुख्यालय स्तर पर विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का आयोजन किया गया है।

राज्य की महिलाओं के परंपरागत कौशल लोक कला, महिला उद्यमियों एवं स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा उत्पादित सामग्रियों के लिए बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 16–17 में गाँधी मैदान पटना, सोनपुर मेला आदि में पवेलियन लगाया गया।

क **महिला सशक्तिकरण नीति 2015 का कार्यान्वयन .....**

महिलाओं के सर्वांगीण विकास एवं सशक्तिकरण हेतु राज्य सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण नीति 2015 का निर्माण किया गया है। राज्य में उक्त नीति के अनुरूप निर्मित एकीकृत कार्य

योजना के कार्यान्वयन हेतु महिला विकास निगम, समाज कल्याण विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है। उक्त नीति के कार्यान्वयन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य निम्नवत् हैः–

- शैक्षणिक संस्थानों एवं सामाजिक संगठनों के सहयोग से विभिन्न प्रचार माध्यमों से महिलाओं के पक्ष में संवेदनशील सकारात्मक वातावरण के निर्माण हेतु 9 जिलों के 18 महाविद्यालयों में लगभग 16000 छात्र–छात्राओं के बीच सपनों को चली छूने कार्यक्रम के अंतर्गत कन्या भ्रूण हत्या एवं शिशु मृत्यु दर के मुद्दे पर जागरूकता का कार्य किया गया है तथा कुल 36 परिवर्त्तन दूत (Champion of Change) तैयार किये गये है, जिनके माध्यम से जन सामान्य को जागरूक करने का कार्य किया जा रहा है।
- महिलाओं एवं किशोरियों की स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता तथा चिकित्सा सुविधाओं/सेवाओं तक पहुँच सुनिश्चित कराने हेतु निगम, जीविका एवं महिला समाख्या के लगभग 85000 स्वयं सहायता समूहों के लगभग 10 लाख महिलाओं के बीच ग्रामवार्त्ता कार्यक्रम चलाया गया जिसका मुख्य उद्देश्य महिलाओं, किशोरियों, समुदाय के कार्यकताओं को इन मुद्दों पर जागरूक एवं सुविधाओं की प्राप्ति प्रक्रियाओं से अवगत कराया गया है।
- महिलाओं से संबंधित विभिन्न अधिनियमों यथा–महिलाओं के विरूद्ध घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005 के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु 5 चरण में सभी जिलों के संरक्षण पदाधिकारी, 3 चरण में लगभग 500 न्यायिक पदाधिकारियों, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अधिवक्ताओं, 4 चरण में लगभग 70 परामर्शियों, 3 चरण में लगभग 400 पुलिस पदाधिकारियों का क्षमता वर्धन किया गया है। साथ हीं सभी जिलों के जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी तथा जिला कल्याण पदाधिकारी का क्षमता वर्द्धन किया गया है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम 2013 के कार्यान्वयन हेतु सभी विभागों में आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जा चुका है तथा उन विभागों में गठित समिति के सदस्यो का दो चरणों में क्षमतावर्द्धन किया जा चुका है। अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी को जिला स्तरीय पदाधिकारी भी अधिसूचित किया जा चुका है। मार्च 2017 से जिला स्तर पर विभिन्न कार्यालयों में गठित आंतरिक परिवाद समिति के सदस्यों के क्षमता वर्द्धन किया जाना है।
- राज्य में जेण्डर संवेदीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से जेण्डर रिसोर्स सेंटर की स्थापना की गई है। सेंटर के माध्यम से विभागों/संगठनों के कर्मियों का जेण्डर संवेदीकरण हेतु निरंतर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे।

2. **मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना–**

कन्या भ्रुण हत्या को रोकने, जन्म पंजीकरण को प्रोत्साहित करने, लिंगानुपात को संतुलित करने तथा कन्या जन्म को प्रोत्साहित करने हेतु गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की दो कन्या शिशुओं को इस योजना के अंतर्गत लाभ दिया जाना है।

राज्य में दो बैंकों यथा– आई.डी.बी.आई. एवं यूको बैंक के माध्यम से उक्त योजना का संचालन किया जा रहा है

अबतक निर्गत कुल बॉडः– 16,72,868

वित्तीय वर्ष 2016–17 (दिसम्बर 2016 तक) निर्गत कुल बॉड– 129434

केन्द्र संपोषित योजनायें:

1. **पूर्णशक्ति केन्द्र**

- महिलाओं से संबंधित सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की सूचनायें/जानकारी महिलाओं को उपलब्ध कराना
- कानूनी अधिकार, सामाजिक एवं जेंडर मुद्दों के प्रति समुदाय में जागरूकता,
- स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आजीविका विकास हेतु लक्षित योजनाओं एवं कार्यक्रमों तक महिलाओं की पहुँच सुनिश्चित करना
- महिलाओं को संगठित करना

2. **वन स्टॉप सेंटर**

किसी भी प्रकार की हिंसा यथा– घरेलू हिंसा, यौन हिंसा, मानव पणन, ऑनर किलिंग, दहेज प्रताड़ना, एसीड अटैक की पीड़ित महिलाओं एवं किशोरियों को चिकित्सीय सेवा, विधिक एवं मनोवैज्ञानिक परामर्श तथा अस्थायी आश्रय की सुविधा एक छत के नीचे मुहैया कराना।

राज्य में 8 जिलों यथा–पटना, गया, दरभंगा, पूर्णियाँ, गोपालगंज, सारण, बेगूसराय एवं नालंदा जिला हेतु योजना की स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसमें से जनवरी 2017 तक पटना गोपालगंज एवं दरभंगा जिला में योजना संचालित है शेष जिलों में संचालन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है।

3. बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओं

जेण्डर आधारित लिंग चयन पर रोक लगाते हुए बालिका शिशु के जन्म को प्रोत्साहित करना, बालिका शिशु की उत्तरजीविता एवं संरक्षण को सुनिश्चित करना, बालिका शिशु की शिक्षा एवं सहभागिता को सुनिश्चित करना।

संचालनः राज्य के एक मात्र जिला वैशाली का चयन किया गया है।

4. Village Convergence & Facilitation Service (VCFS) ग्राम अभिसरण एवं सुविधा सेवा।

महिलाओं से संबंधित सभी योजनओं/कार्यक्रमों के विषय में जागरूकता का सृजन एवं समुदाय में उनके प्रति मांग का सृजन करते हुए उन सेवाओं को महिलाओं तक पहुँचाने के लिए जागरूक करना। टब्ै के क्रियान्वयन हेतु चयनित जिलें वैशाली, लखीसराय, सुपौल, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, जहानाबाद, मधुबनी, पूर्वी चंपारण, मधेपुरा, मुंगेर, सीतामढ़ी, जमुई, गोपालगंज, सहरसा, भागलपुर,, बक्सर है।

5. महिला हेल्पलाईन. 181

महिलाओं के विरूद्व अपराध की स्थिति में त्वरित सहयोग हेतु

संचालनः– वर्तमान में यह सेवा 24×7 संचालित है

स्वीकृत वार्षिक बजट 62.70 लाख

महिला संबंधित अधिनियमों का कार्यान्वयनः–

महिला विकास निगम को राज्य में घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिंक उत्पीड़न निषेध अधिनियम 2013, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 तथा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के कार्यान्वयन हेतु नोडल एजेंसी नामित किया गया है। उक्त अधिनियमों के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु संबंधित पदाधिकारियों यथा पुलिस न्यायपालिका अन्य सेवा प्रदाताओं का क्षमता वर्द्वन, जन जागरूकता, अनुश्रवण आदि का कार्य किया जा रहा है।

बिहार राज्य महिला आयोग

बिहार राज्य महिला आयोग का गठन अधिसूचना संख्या–203 दिनांक 04.06.1999 द्वारा किया गया। आयोग का मुख्य कार्य विद्यमान विधियों के अधीन महिलाओं के लिए सुरक्षा से संबंधित सभी तथ्यों का अन्वेषण तथा जाँच करना, राज्य में महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु सुरक्षा के दक्षतापूर्ण कार्यान्वयन के लिए प्रतिवेदन में अनुशंसा करना, महिलाओं को प्रभावित करने वाले विद्यमान उपबंधों और विधियों का समय–समय पर पुर्नवलोकन करना और उनके बारे में संशोधन की अनुशंसा करना ताकि विधान में किसी कमी, अपर्याप्तता या कमजोरियों को ठीक करने हेतु सुधारात्मक विधायी अध्युपायों के संबंध में परामर्श दिया जाय, राज्य में महिलाओं के विरूद्ध हो रहे अत्याचारों और महिलाओं से संबंधित विधियों के उल्लंघन के सभी मामलों को समुचित प्राधिकारियों के समक्ष लाना तथा महिलाओं को अधिकारों से वंचित करने एवं महिलाओं के सरंक्षण और समानता

तथा विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु भी उपबंध करने के लिए अधिनियमित की गयी विधियों के कियान्वयन नहीं किये जाने से संबंधित विषयों पर शिकायतों की जॉच करना और स्वप्रेरणा से ध्यान देना है।

बिहार राज्य महिला आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त सात गैर सरकारी सदस्य एवं दो पदेन सदस्य तथा एक पदेन सदस्य सचिव का पद है। इनकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2014–15 में बिहार राज्य महिला आयोग के संधारणार्थ कुल रूपये 150.00 लाख रू० मात्र बजट उपबंध था। उक्त उपबंधित राशि के विरूद्ध सम्पूर्ण राशि बिहार राज्य महिला आयोग को उपलब्ध करा दी गयी।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2015–16 में बिहार राज्य महिला आयोग के संधारणार्थ कुल 150.00 लाख रू० मात्र बजट उपबंध प्रस्तावित है।

बाल संरक्षण प्रक्षेत्र की योजनाएँ

1 समेकित बाल संरक्षण योजना :–

समेकित बाल संरक्षण योजना अंतर्गत सेवा प्रदाता संरचना निम्नरूपेण है :–

(क). राज्य बाल संरक्षण समिति (SCPS) –राज्य बाल संरक्षण समिति का मुख्य कार्य समेकित बाल संरक्षण योजना (प्ब्ै) अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों का कार्यान्वयन, अनुश्रवण एवं पर्यवेक्षण है। इसके क्रियान्वयन में होने वाले व्यय में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का अंशदान क्रमशः 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत है।

(ख). राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण (SARA) :–राज्य दत्तकग्रहण संसाधन अभिकरण का मुख्य उद्देश्य अंर्तदेशीय दत्तकग्रहण को बढ़ावा देना, अंर्तदेशीय दत्तकग्रहण का विनियमन एवं दत्तकग्रहण सलाहकार समिति को प्रशासकीय सहायता उपलब्ध कराना है। यह केन्द्रीय दत्तकग्रहण संसाधन प्राधिकरण एवं राज्य सरकार के बीच समन्वयन स्थापित करती है। इसके अंतर्गत सृजित पदों के विरूद्ध संविदा के आधार पर नियोजन किया गया है। इसके क्रियान्वयन में होने वाले व्यय में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का अंशदान क्रमशः 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत है।

(ग). जिला बाल संरक्षण इकाई (DCPU) – जिला स्तर पर जिला बाल संरक्षण इकाई के गठन का प्रावधान है। जिला स्तर पर इसके पदाधिकारी सहायक निदेशक, जिला बाल संरक्षण इकाई हैं, जिनकी स्थायी नियुक्ति की जा चुकी है। जिला बाल संरक्षण इकाई में संस्थागत एवं गैर–संस्थागत कार्यक्रमों के लिए बाल संरक्षण पदाधिकारियों की भी नियुक्ति की गयी है। इसके क्रियान्वयन में होने वाले व्यय में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का अंशदान क्रमशः 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत है।

प्ब्ै अंतर्गत जिला स्तर पर वैधानिक समर्थन एजेंसी का निम्न प्रकार प्रावधान हैं :–

(क). किशोर न्याय परिषद् (JJB)–जिला स्तर पर किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 4 के आलोक में प्रत्येक जिला में कम से कम एक परिषद् के गठन करने का प्रावधान है, जो वर्तमान में सभी जिलों में गठित है। इसमें कुल 3 सदस्य होते है, जिनमें 1 महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। इसके प्रधान सदस्य जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा नामित प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी होते है। इसके क्रियान्वयन में होने वाले व्यय में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का अंशदान क्रमशः 35 प्रतिशत एवं 65 प्रतिशत है।

(ख). बाल कल्याण समिति (CWC)–किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 27 के आलोक में राज्य के प्रत्येक जिला में बाल कल्याण समिति का गठन किये जाने का प्रावधान है, जो सभी जिलों में गठित है। इसमें कुल 5 सदस्य होते है, जिनमें 1 महिला सदस्य का होना अनिवार्य है। इसके क्रियान्वयन में होने वाले व्यय में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का अंशदान क्रमशः 35 प्रतिशत एवं 65 प्रतिशत है।

समेकित बाल संरक्षण योजनान्तर्गत बच्चों की संस्थानिक देखभाल कार्यक्रम अंतर्गत गृह निम्नरूपेण हैं :–

(क). पर्यवेक्षण गृह (Observation Home)–किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 47 के आलोक में वर्तमान में राज्य के विभिन्न जिलों में कुल–27 पर्यवेक्षण गृहों (विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के मामले की सुनवाई तक आवासित करने के लिए) के निर्माण हेतु स्वीकृति प्राप्त की जा चुकी है तथा गृहों के निर्माण हेतु भवन निर्माण विभाग, बिहार को राशि उपलब्ध करायी जा चुकी है। वर्तमान में बिहार के 12 जिलों यथा–पटना, भोजपुर, गया, छपरा, भागलपुर, दरभंगा, पूर्णियाँ, मुजफ्फरपुर, मुंगेर, पूर्वी चंपारण, अररिया एवं शेखपुरा में पर्यवेक्षण गृह का संचालन किया जा रहा है। इसके क्रियान्वयन में होने वाले व्यय में केन्द्र एवं राज्य सरकार का अंशदान क्रमशः 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत है।

(ख). विशेष गृह (Special Home)–किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 48 के आलोक में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों का दोष सिद्ध होने पर सुधार हेतु उन्हें विशेष गृह में रखने का प्रावधान हैं। इस आलोक में राज्य में एक विशेष गृह (बालक) का संचालन (पटना जिला में) किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त बालिकाओं के लिए एक विशेष गृह के स्थापना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गयी है। इसके क्रियान्वयन में होने वाले व्यय में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का अंशदान क्रमशः 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत है।

(ग).सुरक्षित स्थान (Place of Safety)- किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा 49 के आलोक में सुरक्षित स्थान की स्थापना किये जाने का प्रावधान है। 18 वर्ष की उम्र से अधिक के व्यक्ति या विधि का उल्लंधन करने वाले वैसे बालक जिनकी उम्र 16 से 18 वर्ष के बीच में हो और जघन्य अपराध कारित करने का आरोप हो या उसके लिए सिद्धदोष हो, को सुरक्षित स्थान में रखा जाना है। राज्य में कुल 5 जिलों में सुरक्षित स्थान के स्थापना की स्वीकृति मंत्रिपरिषद् द्वारा प्रदान की गयी है। इस आलोक में वर्तमान में शेखपुरा जिला में सुरक्षित स्थान का संचालन प्रक्रियाधीन है तथा 3 जिलों यथा पटना, पूर्णियाँ एवं भागलपुर में गृह की स्थापना प्रस्तावित है। इसके क्रियान्वयन में होने वाले व्यय में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का अंशदान क्रमशः 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत है।

अनाथ एवं परित्यक्त बच्चों के देखरेख एवं दत्तकग्रहण हेतु कार्यक्रम :–

(क) विशिष्ट दत्तक ग्रहण एजेंसी (SAA) –वर्तमान में पटना में 2 तथा नालंदा, भागलपुर, सारण, दरभंगा, सहरसा, गया, मुजफ्फरपुर, नवादा, कटिहार, सिवान, वैशाली, पूर्वी चम्पारण, मधेपुरा, सीतामढ़ी, मधुबनी, कैमूर, अररिया, बेगूसराय एवं गोपालगंज अर्थात कुल 21 दत्तकग्रहण संस्थान संचालित है। विशिष्ट दत्तकग्रहण संस्थान में होने वाले व्यय में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का अंशदान क्रमशः 60 प्रतिशत, 30 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत है। राज्य में इस कार्यक्रम के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011–12 में कुल 31, 2012–13 में कुल 30, 2013–14 में कुल 55, 2014–15 में कुल 48 एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 में कुल 100 बच्चों को दत्तकग्रहण के माध्यम से उपयुक्त परिवार में पुनर्वासित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में जनवरी, 2017 तक कुल 69 बच्चों को गोद दिया जा चुका है।

निराश्रित, परित्यक्त, परिवार विहीन बच्चों के लिए बाल गृह :–

(क). सरकार द्वारा संचालित बाल गृह (Govt. run Children's Home)–किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा–50 के आलोक में निराश्रित, परित्यक्त, परिवार विहीन बच्चों को उनके पुनर्वास (पारिवारिक पुर्नमिलन, दत्तक ग्रहण, फोस्टर केयर इत्यादि) तक आवासित करने के लिए सरकार द्वारा पटना में दो (बाल गृह, अपना घर एवं बालिका गृह, निशांत) एवं बेगूसराय जिले में एक (बाल गृह, बसेरा) अर्थात् कुल तीन बाल गृहों का संचालन पूर्व से किया जा रहा है। सरकारी बाल गृहों में होने वाले व्यय में केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार का अंशदान क्रमशः 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत है।

(ख). स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा संचालित बाल गृह (NGO run Children's Home)–किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 की धारा–50 के आलोक में निराश्रित, परित्यक्त, परिवार विहीन बच्चों को उनके पुनर्वास (परिवारिक पुर्नमिलन, दत्तक ग्रहण, फोस्टर केयर इत्यादि) तक आवासित करने के लिए गैर सरकारी संगठन के माध्यम से सभी जिलों में बाल गृह की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गयी है। वर्तमान में 7 जिलों यथा सारण, मुजफ्फपुर, सहरसा, बेगूसराय, पूर्णियां, किशनगंज एवं मधुबनी जिला में बालिकाओं के लिए तथा 11 जिलों यथा मुजफ्फरपुर, प0 चम्पारण, बक्सर, दरभंगा, रोहतास, गया, सहरसा, भागलपुर, सारण, मुंगेर तथा पूर्णियां

में बालकों के लिए बाल गृह का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से किया जा रहा है। स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से संचालित किये जा रहे बाल गृहों में होने वाले व्यय में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का अंशदान क्रमशः 60 प्रतिशत, 30 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत है।

समेकित बाल संरक्षण योजनान्तर्गत बच्चों की संस्थानिक देखभाल कार्यक्रम अंतर्गत गृह निम्नरूपेण हैं :–

खुला आश्रय गृह–निराश्रित, परित्यक्त, परिवार विहीन बच्चों को तत्काल आश्रय प्रदान करने के लिए अधिनियम में इस गृह के स्थापना का प्रावधान है, राज्य में गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से 11 खुला आश्रय संचालन हेतु अनुमोदन प्राप्त है, जिसमें वर्तमान में 9 खुला आश्रय यथा मुजफ्फरपुर, मुंगेर, गया, पूर्णियां, पटना (3), भागलपुर एवं दरभंगा का संचालन किया जा रहा है। खुला आश्रयों में होने वाले व्यय में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार एवं स्वयंसेवी संस्थाओं का अंशदान क्रमशः 60 प्रतिशत, 30 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत है।

चाइल्डलाईन आपात सेवाः–

i. चाइल्ड लाईन देखरेख एवं संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से 24X7 आपातकालीन दूरभाष पहुँच सेवा है, जो उन्हें आपातकालीन एवं दीर्घ अवधि, देखरेख एवं पुर्नवास सेवाओं से जोड़ती है। कठिन परिस्थितियों में रहने वाला कोई भी बच्चा अथवा उनकी ओर से कोई वयस्क इस सेवा तक 1098 डायल करके पहुँच सकता है।

ii. वर्तमान में राज्य के 21 जिलों यथा पटना, गया, सीतामढ़ी, दरभंगा, किशनगंज, पूर्णियाँ, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, वैशाली, सहरसा, बक्सर, कटिहार, पश्चिम चंपारण, जमुई, कैमुर, समस्तीपुर, अररिया, पूर्वी चम्पारण, औरंगाबाद, मधुबनी एवं बांका में चाइल्डलाईन की सेवा संचालित है।

चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम :–

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, नई दिल्ली के द्वारा NIC के सहयोग से एक वेब पोर्टल विकसित की गई है, जिसपर गुमशुदा एवं बरामद बच्चों से संबंधित आँकड़ों की प्रविष्टि trackthemissingchild.gov.in पर किया जाना है जिसका उद्देश्य गुमशुदा एवं बरामद बच्चों को उनके परिवार से मिलाना है। वर्ष 2014–15 से इस वेब पोर्टल पर पुलिस विभाग, सभी बाल देखभाल संस्थान, बाल कल्याण समिति तथा किशोर न्याय परिषद् से संबंधित आँकड़ों की प्रविष्टि सुनिश्चित की जा रही है। अब तक कुल 20,000 से ज्यादा बच्चों से संबंधित मामलों के आँकड़ों की प्रविश्टि की जा चुकी है।

रेलवे हेल्प डेस्क (KIOSK) :–

मानीय उच्च न्यायालय, पटना की जुवेनाईल जस्टिस अनुश्रवण समिति, रेलवे मंत्रालय, समाज कल्याण विभाग एवं यूनिसेफ के सहयोग से विभिन्न रेलवे जंक्शन अंतर्गत प्राप्त देखरेख एवं संरक्षण के बच्चों के संबंध में Ministry of Railway द्वारा निर्मित SOP के अंतर्गत राज्य के 6 रेलवे स्टेशन यथा, गया, दरभंगा, रक्सौल, मुजफ्फरपुर कटिहार एवं भागलपुर/जमालपुर में एक हेल्प डेस्क (KIOSKS) के निर्माण का निर्णय लिया गया है। वर्तमान में पटना रेलवे जंक्शन पर यह झ्प्व्ैझ स्थापित है। उक्त हेल्प डेस्क (KIOSKS) में रेलवे जंक्शन अंतर्गत प्राप्त बाल श्रम एवं ट्रैफिकिंग आदि से पीड़ित बच्चों को यथासंभव मदद प्रदान की जायेगी। KIOSKS हेतु स्थान की व्यवस्था रेलवे द्वारा तथा आवश्यक मूलभूत संरचना आदि की व्यवस्था समाज कल्याण निदेशालय द्वारा की जायेगी। इस संबंध में व्यय की अनुमति आई०सी०पी०एस० के Innovative Fund से करने हेतु भारत सरकार से मांगी गयी है।

एम०आई०एस० सिस्टम (डप्ै):–

किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत कार्यरत सभी अवयवों यथा जिला बाल संरक्षण इकाई, किशोर न्याय परिषद्, बाल कल्याण समिति, पर्यवेक्षण गृह, विशेष गृह, बाल गृह, खुला आश्रय एवं विशेष दत्तकग्रहण संस्थान आदि से संबंधित सभी प्रतिवेदनों के अनुश्रवण एवं आंकलन हेतु राज्य बाल संरक्षण समिति के द्वारा एक ऑन–लाईन सी0पी0एम0आई0एस0 सिस्टम विकसित की गयी है। इसके अंतर्गत उपरोक्त सभी संस्थानों के द्वारा विभिन्न प्रतिवेदन माह अप्रैल, 2016 से समिति को Online उपलब्ध कराया जा रहा है।

सी0एल0टी0एस0 (Child Labour Tracking System):–समाज कल्याण विभाग एवं श्रम संसाधन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में बाल श्रम से विमुक्त बच्चों को उनके परिवार एवं समाज में पुर्नस्थापन करने हेतु चाईल्ड लेबर ट्रैकिंग सिस्टम का क्रियान्वयन 12 जून, 2016 को विश्व बाल श्रम निषेद्य दिवस के अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री, बिहार श्री नीतीश कुमार के द्वारा किया गया है। इसके तहत बाल श्रम से विमुक्त बच्चों को जिला बाल संरक्षण इकाई के द्वारा ट्रैकिंग करते हुए उनको पुनः बाल श्रम में जाने से रोकने एवं उनके और उनके परिवार को सरकार द्वारा संचालित विभिन्न सामाजिक संरक्षण योजनाओं से जोड़ा जा रहा है। अब तक इस पोर्टल पर कुल 2800 से ज्यादा बच्चों के डाटा को दर्ज किया गया है तथा इसके पुर्नवासन की कार्रवाई की जा रही है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में समेकित बाल संरक्षण योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यांश मद में कुल रू0 1000.00 लाख तथा केन्द्रांश मद में रू0 2500.00 लाख का योजना उद्व्यय/बजट उपबंध है। राज्यांश मद में उपबंधित सम्पूर्ण तथा केन्द्रांश मद में उपबंधित राशि के विरूद्ध महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विमुक्त राशि 551.62 लाख राज्य बाल संरक्षण समिति को आवंटित कर दिया गया है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में समेकित बाल संरक्षण योजना के कार्यान्वयन हेतु राज्यांश मद में कुल रू0 2800.00 लाख तथा केन्द्रांश मद में रू0 4200.00 लाख का योजना उद्व्यय/बजट उपबंध प्रस्तावित है।

परवरिशः–यह राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके अंतर्गत अनाथ एवं बेसहारा बच्चों एवं दुसाध्य रोगों से पीड़ित बच्चों एवं दुसाध्य रोगों के कारण विकलांगता के शिकार माता–पिता की संतानों को समाज में बेहतर पालन–पोशण एवं उनकी गैर संस्थानिक देख–रेख को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान भत्ता प्रदान किया जाता है। इसके लक्ष्य समूह में

(i) अनाथ एवं बेसहारा बच्चे अथवा अनाथ बच्चे जो अपने निकटतम संबंधी अथवा नाते रिश्तेदार के साथ रह रहे हैं।

(ii) एच0आई0वी0 (+)/एड्स/कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चे।

(iii) एच0आई0वी0()/एड्स पीड़ित माता/पिता अथवा कुष्ठ रोग (ग्रेड–II) से पीड़ित माता/पिता की संतानें।

इस योजना के अन्तर्गत चयनित बच्चों के पालन–पोषण हेतु अनुदान राशि निम्न प्रकार होगीः–

1. 0 से 6 वर्ष उम्र समूह के बच्चों के लिए 900/–रूपये प्रति माह।
2. 6 से 18 वर्ष उम्र समूह के बच्चों के लिए रूपये 1000/– प्रति माह।

योजना का लाभ प्रति माह लाभुकों एवं अभिभावक के नाम से खोले गये संयुक्त बचत खाता में सीधे हस्तांतरित किया जाता है।

- कुल लाभुकों की संख्या–10327

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल रू0 1000.00 लाख का योजना उद्व्यय/बजट उपबंध है जिसके विरूद्ध सम्पूर्ण राशि राज्य बाल संरक्षण समिति को आवंटित कर दी गयी है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल रू0 150.00 लाख का योजना उद्व्यय/बजट उपबंध है जिसके विरूद्ध सम्पूर्ण राशि राज्य बाल संरक्षण समिति को आवंटित कर दी गयी है।

बाल संरक्षण इकाई की स्थापना :– किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 की धारा 62ए के बाध्यकारी प्रावधानों के अनुसार राज्य स्तरीय बाल संरक्षण एकक (एक) एवं जिला स्तरीय बाल संरक्षण एककों (38) का गठन किया गया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्य स्तरीय बाल संरक्षण इकाई एवं जिला स्तरीय बाल संरक्षण इकाई के संधारणार्थ कुल रू0 1000.00 लाख का योजना उद्व्यय/बजट उपबंध है। उक्त राशि के विरूद्ध अब तक कुल रू0 506.98 लाख व्यय किया गया है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल रू0 400.00 लाख का योजना उद्व्यय/बजट उपबंध है

3. बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग :– बाल अधिकार, विशेषतया पारिवारिक संरक्षण से वंचित यथा निराश्रित, उपेक्षित, अनैतिक पणन के शिकार, शोषण के शिकार बालकों के अधिकारों के संरक्षण एवं उनके हनन के मामलों में त्वरित कार्रवाई हेतु बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 को अधिसूचित किया गया है। राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम की धारा 17(2) के विभागीय संकल्प संख्या–2028 दिनांक–23.12.2008 द्वारा बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया है। राज्य सरकार के उक्त संकल्प में निहित निदेशों एवं बाल अधिकार संरक्षण अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अंतर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या–1768 दिनांक–28.08.2010 एवं 1778 दिनांक–30.08.2010 द्वारा बिहार बाल अधिकार सरंक्षण आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की प्रथम नियुक्ति तथा विभागीय अधिसूचना सं0–362 दिनांक–21.02.2014 तथा 363 दिनांक–21.02.2014 द्वारा द्वितीय नियुक्ति की गयी थी। विदित हो कि माह मई, 2016 के मध्य से आयोग विघटित है।

बिहार राज्य में 2010 से एक सक्षम बाल अधिकार संरक्षण आयोग कार्यरत रहा है जिसमें बच्चों की सुरक्षा, संरक्षण तथा उनके अधिकारों के हनन के मामले में आयोग ने अपने कर्तव्य एवं दायित्वों को पूर्ण संवेदनशीलता से एवं विधि सम्मत रूप से कार्य किया है। बाल अधिकार के हनन के मामले में पारदर्शी जॉच, अनुशंसा एवं त्वरित न्याय के लिए जो भी शक्तियॉ इसे प्राप्त है, उसका उपयोग करते हुए इसने अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों के अतिरिक्त सचिव एवं अन्य पदाधिकारियों ने भी आयोग को राज्य में प्रतिस्थापित करने तथा बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा करने में अपनी महती भूमिका का परिचय दिया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संधारणार्थ कुल रूपये 200.00 लाख का योजना उद्व्यय/बजट उपबंध के विरूद्ध सम्पूर्ण राशि आयोग को उपलब्ध कराने की कार्रवाई की जा रही है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संधारणार्थ कुल रूपये 10.00 लाख का योजना उद्व्यय/बजट उपबंध प्रस्तावित है।

<u>समाज के असहाय वर्गों/असंगठित क्षेत्र के लिये संचालित योजनाएँ एवं कार्यक्रम</u>

सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय द्वारा निम्नांकित पेंशन योजनाएँ कार्यान्वित की जाती है :–

(क) केन्द्रीय पेंशन योजनाएँ :–

- इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना
- इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना
- इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना

(ख) राज्य पेंशन योजनाएँ :–

- लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना
- बिहार निःशक्तता पेंशन योजना
- राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना

1. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना :–

- इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के 60–79 वर्ष आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्ति को रू0 400/– प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें रू0 200/– केन्द्र सरकार द्वारा एवं रू0 200/– राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है।
- 80 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्ति को रू0 500/– प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें शत–प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी जाती है।
- इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के RTPS काउन्टर पर जमा किया जाता है।
- इस योजना के स्वीकृति पदाधिकारी अनुमण्डल पदाधिकारी हैं।
- इस योजनान्तर्गत डिजिटाईज पेंशनधारियों की संख्या 42.92 लाख है, जिसमें से 36.23 लाख पेंशनधारियों का खाता संख्या उपलब्ध है।

2. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना :–

- इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के 40–79 वर्ष आयु वर्ग की विधवा महिला को रू0 400/– प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें रू0 300/– केन्द्र सरकार द्वारा एवं रू0 100/– राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है।
- 80 वर्ष आयु के उपरान्त इस योजना के पेंशनधारी को इन्दिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्थानांतरित किया जाता है।
- इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के त्जै काउन्टर पर जमा किया जाता है।
- इस योजना के स्वीकृति पदाधिकारी अनुमण्डल पदाधिकारी हैं।

- इस योजनान्तर्गत डिजिटाईज पेंशनधारियों की संख्या 5.42 लाख है, जिसमें से 4.60 लाख पेंशनधारियों का खाता संख्या उपलब्ध है।

3. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना :–

- इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के 18–79 वर्ष आयु वर्ग के 80ः या उससे अधिक विकलांगता वाले निःशक्त व्यक्ति को रू0 400/– प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें रू0 300/– केन्द्र सरकार द्वारा एवं रू0 100/– राज्य सरकार द्वारा अंशदान किया जाता है।
- 80 वर्ष आयु के उपरान्त इस योजना के पेंशनधारी को इन्दिरा गाँधी वृद्धावस्था पेंशन योजना में स्थानांतरित किया जाता है।
- इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के त्ञ्चै काउन्टर पर जमा किया जाता है।
- इस योजना के स्वीकृति पदाधिकारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी हैं।
- इस योजनान्तर्गत डिजिटाईज पेंशनधारियों की संख्या 1.07 लाख है, जिसमें से 91,455 पेंशनधारियों का खाता संख्या उपलब्ध है।

4. लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :–

- इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वैसी विधवा जिनकी वार्षिक आय रू0 60,000/– से कम हो या जो बी0पी0एल0 परिवार की हों परन्तु इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित नहीं हों, को रू0 400/– प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है।
- इसमें शत–प्रतिशत राशि राज्य सरकार के द्वारा अंशदान किया जाता है।
- इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के त्ञ्चै काउन्टर पर जमा किया जाता है।
- इस योजना के स्वीकृति पदाधिकारी अनुमण्डल पदाधिकारी हैं।
- इस योजनान्तर्गत डिजिटाईज पेंशनधारियों की संख्या 5.40 लाख है, जिसमें से 4.56 लाख पेंशनधारियों का खाता संख्या उपलब्ध है।

5. बिहार निःशक्तता पेंशन योजना :–

- इस योजना के अन्तर्गत किसी भी आय एवं आयुवर्ग के 40ः या उससे अधिक विकलांगता वाले निःशक्त व्यक्ति को रू0 400/– प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है।
- इसमें शत–प्रतिशत राशि राज्य सरकार के द्वारा अंशदान किया जाता है।
- इस योजना में आवेदन विहित प्रपत्र में दो प्रतियों में प्रखण्ड के RTPS काउन्टर पर जमा किया जाता है।
- इस योजना के स्वीकृति पदाधिकारी प्रखण्ड विकास पदाधिकारी हैं।
- इस योजनान्तर्गत डिजिटाईज पेंशनधारियों की संख्या 6.34 लाख है, जिसमें से 5.46 लाख पेंशनधारियों का खाता संख्या उपलब्ध है।

6. राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना :–

• इस योजना के अन्तर्गत 60–64 वर्ष आयु वर्ग के वैसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रू0 5500/– एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू0 5000/– हो, को रू0 400/– प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है। विमुक्त बंधुआ मजदुर के मामले में आय एवं उम्र का बंधेज नहीं है।

• इसमें शत–प्रतिशत राशि राज्य सरकार के द्वारा अंशदान किया जाता है।

• इस योजना के स्वीकृति पदाधिकारी वृद्ध व्यक्तियों के मामले में अनुमण्डल पदाधिकारी तथा बंधुआ मजदुर के मामले में जिला पदाधिकारी हैं।

• इस योजनान्तर्गत डिजिटाईज पेंशनधारियों की संख्या 75,319 है, जिसमें से 60,983 पेंशनधारियों का खाता संख्या उपलब्ध है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान के तहत एक नई पहल :–

• सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान को सरल, सुगम एवं पारदर्शी बनाने के उद्देश्य से विभाग द्वारा एक नई पहल की गयी है। इस नई पहल के तहत सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अन्तर्गत सभी पेंशनधारियों को डी0बी0टी0 (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाता में राशि हस्तांतरण किया जा रहा है। डी0बी0टी0 के माध्यम से पेंशन भुगतान कार्यक्रम का उद्घाटन माननीया मंत्री, समाज कल्याण विभाग द्वारा दिनांक–27.10.2016 किया गया, एवं माह मार्च, 2016 से माह सितम्बर, 2016 तक (कुल 07 माह) का पेंशन राशि का भुगतान E-Payment के माध्यम से किया गया। पुनः दिनांक–17.02.2017 से माह अक्टूबर से दिसम्बर, 2016 तक (कुल 03 माह) के पेंशन भुगतान E-Payment के माध्यम से किया जा रहा है।

• माह जनवरी, 2017 से मार्च, 2017 तक म्च्ंलउमदज के माध्यम से पेंशन भुगतान हेतु कुल रू0 466.19 करोड़ बिहार आकस्मिकता निधि से प्रावधानित करायी गयी है एवं उसकी निकासी प्रक्रियाधीन है। उक्त राशि की निकासी के उपरांत माह जनवरी से मार्च, 2017 तक पेंशनधारियों को म्चंलउमदज के माध्यम से भुगतान किया जायगा।

• उल्लेखनीय है कि कुल 61.92 लाख डिजिटाईज पेंशनधारियों में से 52.38 लाख पेंशनधारियों का बैंक खाता प्राप्त कर लिया गया है एवं Verification के लिए PFMS पर भेजा गया है। PFMS द्वारा अब तक लगभग 46.17 लाख खाता Verify कर लिया गया है। प्रखण्ड द्वारा 42.19 लाख पेंशनधारियों की सूची को लॉक कर दिया गया है।

• नये वित्तीय वर्ष 2017–18 से आधार सिडेड बैंक खाता में E-payment किया जाना है। इसके लिए लाभुकों का आधार संख्या संग्रहण एवं पंजीकरण कराया जा रहा है। अबतक 25.92 लाख पेंशनधारियों का आधार संख्या ई–लाभार्थी पोर्टल पर अपलोड कर दिया गया है।

- **राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना :–**

इसके अन्तर्गत 18–60 वर्ष आयु वर्ग के कमाउ सदस्य (Bread Winner) की अकस्मात मृत्यु पर उसके आश्रित को एकमुश्त रू0 20,000/– की आर्थिक सहायता दी जाती है। इसमें शत–प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार द्वारा प्राप्त होती है।
वित्तीय वर्ष 2016–17 में पात्र लाभुकों के वितरण हेतु जिलों को रू0 42.00 करोड़ उपलब्ध कराया गया है।

- **मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना :–**

इस योजना के अन्तर्गत किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या 18–60 वर्ष आयु वर्ग के व्यक्ति की अपराधिक घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रित परिवार/निकटस्थ संबंधी को एकमुश्त रू0 20,000/– की सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 6. 50 करोड़ का बजट उपलब्ध है एवं पात्र लाभुकों के वितरण हेतु जिलों को रू0 1.50 करोड़ उपलब्ध कराया गया है।

- **कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना :–**

इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर उसके अन्त्येष्टि क्रिया हेतु परिवार को 3000/–रू0 की एकमुश्त सहायता दी जाती है।
इस योजना में त्वरित भुगतान हेतु मुखिया/वार्ड कमिश्नर के पास 07 मामलों के लिए नगद राशि रू0 21,000/– हमेशा उपलब्ध रहता है तथा उनके खाते में 15 मामलों के भुगतान हेतु राशि उपलब्ध रखी जाती है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 50.00 करोड़ का बजट उपलब्ध है एवं पात्र लाभुकों के वितरण हेतु जिलों को रू0 14.00 करोड़ उपलब्ध कराया गया है।

- **बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना :–**

इसके अन्तर्गत Visible Deformities Grade-II के कुष्ठ रोगी को भोजनादि हेतु रू0 1500/– प्रतिमाह प्रति कुष्ठ रोगी की दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन में असमर्थ कुष्ठ रोगियों को भिक्षावृत्ति से दूर रखना है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 15.00 करोड़ का बजट उपलब्ध है एवं पात्र लाभुकों के वितरण हेतु जिलों को रू0 10.00 करोड़ उपलब्ध कराया गया है।

- **बिहार शताब्दी एड्स पीड़ीत कल्याण योजना :–**

एड्स कन्ट्रोल सोसाईटी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना की सहायता से संचालित इस योजना के तहत एड्स रोगियों को मुफ्त भोजन हेतु रू0 1500/– की आर्थिक सहायता दी जाती है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 11.00 करोड़ का बजट उपलब्ध है एवं पात्र लाभुकों के वितरण हेतु सोसाईटी को रू0 1.00 करोड़ उपलब्ध कराया गया है।

- **वृद्धाश्रम निर्माण :–**

पटना, पूर्णियाँ तथा गया जिला में सरकार द्वारा भवन निर्माण विभाग के माध्यम से वृद्धाश्रम निर्माण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए रू0 1.00 करोड़ का बजट स्वीकृत है। तीनों जिलों में जमीन उपलब्ध हो गया है एवं पटना तथा गया जिला में प्रशासनिक स्वीकृति भी प्राप्त है।

- **ओल्ड एज होम (सहारा) :–**

''सहारा'' कार्यक्रम के तहत वृद्धजनों के हितार्थ स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से पटना, गया, पूर्णियाँ, मुजफ्फरपुर तथा भागलपुर में वृद्धाश्रम संचालित किया जा रहा है, जिसमें प्रति वृद्धाश्रम 50 वृद्धजनों को आवासन का लाभ दिया जायेगा। इस कार्यक्रम के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए रू0 1.00 करोड़ का बजट उपबंध है।

- **बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (BISPS) :–**

इस योजनान्तर्त सामाजिक सुरक्षा से जुड़े योजनाओं के कार्यान्वयन की प्रक्रिया का सुदृढ़ीकरण एवं क्षमतावर्द्धन, निःशक्त, वृद्ध तथा विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं देखभाल की स्थापना एवं विस्तारीकरण किया जाना है।

इस योजना के कार्यान्वयन में विश्व बैंक की सहभागिता है। योजना का कार्यान्वयन हेतु स्टेट सोसाईटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर (SSUPSW), ''सक्षम'' द्वारा किया जा रहा है।

इस योजनान्तर्गत प्रत्येक अनुमण्डल कार्यालय या अनुमण्डल स्थित प्रखण्ड कार्यालय में 01 बुनियाद केन्द्र की स्थापना प्रक्रियाधीन है। कुल 101 अनुमण्डलों में बुनियाद केन्द्र की स्थापना प्रस्तावित है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में रू0 87.80 करोड़ का बजट उपलब्ध है।

- **मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना 'सम्बल' :–**

मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल) का प्रारंभ वित्तीय वर्ष 2012–13 में किया गया। विकलांगजनों के हितार्थ पूर्व में संचालित योजनाएँ जो अलग–अलग शीर्ष के तहत स्वीकृत थे, उन्हें जिनको सम्बल योजना में एक शीर्ष के तहत एकीकृत किया गया तथा नवघटकों को इसमें शामिल किया गया। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए रू0 9.50 करोड़ का बजट उपलब्ध है।

<u>घटकवार योजना की विवरणी निम्न प्रकार है :–</u>

(I) कृत्रिम अंग एवं उपकरण वितरण

(II) विकलांग छात्रवृत्ति

(III) विकलांगजनों का सर्वेक्षण एवं प्रमाणीकरण

(IV) मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा एवं स्वरोजगार ऋण योजना

(V) विशेष विद्यालयों का उत्क्रमण

(VI) मानसिक विकलांग बच्चों के लिए दिवाकालीन विद्यालय 'चमन' का संचालन

(VII) दृष्टिहीन बालिकाओं के लिए विशेष आवासीय विद्यालय 'दृष्टि' का संचालन

(VIII) मूक बधिर बालिकाओं के लिए विशेष आवासीय विद्यालय 'कोशिश' का संचालन

(IX) मानसिक विकलांग महिलाओं के लिए आश्रय गृह 'आशियाना का संचालन

(X) मानसिक विकलांग पुरूषों के लिए आश्रय गृह 'साकेत का संचालन

(I) कृत्रिम अंग एवं उपकरण :–

- इस योजना के तहत जरूरतमंद निःशक्तजनों को तिपहितया साईकिल, ट्राई साईकिल, श्रवण यंत्र, वैशाखी, कैलीपर आदि उपकरण एवं कृत्रिम अंग प्रदान किया जाता है।
- **पात्रता–** (क) कोई भी स्त्री/पुरूष (ख) उम्र– चलन्त निःशक्त के लिए 14 वर्ष से अधिक (ग) विकलांगता– न्यूनतम 40 प्रतिशत (घ) आय– रू0 1,00,000/– वार्षिक तक
- **आवेदन की प्रक्रिया–** विहित प्रपत्र में (तिपहिया साईकिल/श्रवण/वैशाखी/अंधों के लिए श्वेत छड़ी) विकलांगता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति/आय प्रमाण–पत्र/उम्र प्रमाण–पत्र/निवास प्रमाण–पत्र /जाति प्रमाण–पत्र की छायाप्रति के साथ आवेदन–पत्र प्रखण्ड कार्यालय/जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में लिया जाता है।

(II) विकलांग छात्रवृत्ति :–

- सरकारी विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय तकनीकी संस्थान में अध्ययनरत वर्ग 1 से स्नातकोत्तर तक के निःशक्त छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करना।
- **पात्रता–**सरकारी विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय/तकनीकी संस्थान में अध्ययनरत वर्ग–। से स्नातकोत्तर तक के छात्र/छात्राएँ।
- **अहर्त्ता–**न्यूनतम विकलांगता 40 प्रतिशत एवं आय रू0 2,00,000/– वार्षिक।
- **आवेदन की प्रक्रिया–** मैट्रिक तक का आवेदन विद्यालय के माध्यम से प्रखण्ड कार्यालय में तथा महाविद्यालय/विश्वविद्यालय स्तर के आवेदन जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग कार्यालय में लिया जाता है।

(III) विकलांगजनों का सर्वेक्षण एवं प्रमाणीकरण :–

- निःशक्तजनों का सर्वेक्षण एवं विकलांगता प्रमाणीकरण पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर विशेष शिविर आयोजन कर समय–समय पर किया जाता है उक्त शिविर में चिकित्सक दल द्वारा जॉचोंपरान्त विकलांगता प्रमाण पत्र निर्गत किया जाता है। वैसे सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अनुमण्डलीय स्वास्थ्य केन्द्रों में नियमित रूप से विकलांगता जाँच एवं प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है।

(IV) मुख्यमंत्री निःशक्तजन शिक्षा एवं स्वरोजगार ऋण योजना :–

- छात्र/छात्राओं को शिक्षा हेतु ऋण उपलबध कराना 18 से 30 वर्ष की उम्र के छात्र/छात्राओं जो मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उच्च शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं उनको 4 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अधिकतम 5.00 लाख ऋण दिये जाने का प्रावधान है।
- निःशक्तजन जिनकी उम्र 18 से 65 वर्ष के बीच में हैं उन्हें स्वरोजगार हेतु 5 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से अधिकतम 1.5 लाख ऋण दिये जाने का प्रावधान है।
- निःशक्तजन जिनके परिवार की वार्षिक आय (शहरी क्षेत्र में 2 लाख अधिकतम एवं ग्रामीण क्षेत्र में 1.60 लाख) पात्रता के रूप में है।

- **स्वरोजगार ऋण हेतु पात्रता–** कोई भी स्त्री/पुरूष, संबंधित जिला के निवासी हों जहाँ से ऋण लिया जाना है।
- उम्र– 18 वर्ष से 60 वर्ष तक।
- अहर्त्ता– न्यूनतम विकलांगता 40 प्रतिशत।
- आय–शहरी क्षेत्र में रू0 2,00,000/– अधिकतम एवं ग्रामीण क्षेत्र में रू0 1,60,000/– अधिकतम।
- ऋण की राशि– ऋण की अधिकतम राशि रू0 1,50,000/– होगा। भुगतान चेक के माध्यम से किया जाता है।
- आवेदन की प्रक्रिया– आवेदन जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में विहित प्रपत्र में शर्त्तों के साथ लिया जायगा।
- **शिक्षा ऋण हेतु पात्रता–** राज्य के वैसे विकलांग विद्यार्थी जो भारत सरकार, राज्य सरकार, यू0जी0सी0, ए0आई0सी0,टी0ई0, आई0सी0एम0आर0 द्वारा अनुमोदित/मान्यता प्राप्त संस्थानों द्वारा संचालित डिग्री, डिप्लोमा या अन्य पाठ्यक्रमों या समकक्ष मान्यता प्राप्त अन्य तकनीकी/व्यवसायिक कोर्स की पढ़ाई पूरी करना चाहते हैं, को यह ऋण कोई भी निःशक्तजन छात्र/छात्राओं को दिया जाता है।
- उम्र– 18 वर्ष से 30 वर्ष तक।
- अहर्त्ता– न्यूनतम विकलांगता 40 प्रतिशत।
- ऋण की राशि– ऋण की अधिकतम राशि रू0 5,00,000/– होगी, जिसका वार्षिक साधारण ब्याज दर 4 प्रतिशत होगा।
- आवेदन की प्रक्रिया– आवेदन जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग में विहित प्रपत्र में शर्त्तों के साथ लिया जायगा।

(v) विशेष विद्यालयों का उत्क्रमण :–

- विभाग द्वारा पटना, भागलपुर, मुंगेर एवं दरभंगा में संचालित आठ विशेष विद्यालय संचालित है, जिसमें 05 मूक बधिर विद्यालय एवं 03 नेत्रहीन बच्चों के लिए विद्यालय संचालित है।

राजकीय मूक–बधिर विद्यालय :–

क्र0	विद्यालय का नाम एवं पता	विद्यालय एवं छात्रवास–सरकारी भवन अथवा निजी भवन	छात्रों का स्वीकृत बल
1	श्री कामेश्वरी प्रिया पूअर होम, राजकीय मूक बधिर मध्य विद्यालय, दरभंगा।	विद्यालय एवं छात्रावास सरकारी भवन में अवस्थित है।	50
2	राजकीय मूक बधिर (बालक) मध्य विद्यालय, महेन्द्रू पटना।	विद्यालय सरकारी भवन में अवस्थित है परन्तु छात्रावास किराये के मकान में चल रहा है।	50

3	राजकीय मूक बधिर (बालिका) मध्य विद्यालय, गायघाट, पटना।	विद्यालय एवं छात्रावास सरकारी भवन में अवस्थित है।	50
4	राजकीय मूक बधिर मध्य विद्यालय, बड़ी खनजरपुर, भागलपुर।	विद्यालय एवं छात्रावास सरकारी भवन में अवस्थित है।	30
5	राजकीय मूक बधिर मध्य विद्यालय, मुंगेर।	विद्यालय एवं छात्रावास सरकारी भवन में अवस्थित है।	25

राजकीय नेत्रहीन विद्यालय :–

क्र0	विद्यालय का नाम एवं पता	विद्यालय एवं छात्रवास–सरकारी भवन अथवा निजी भवन	छात्रों का स्वीकृत बल
1	राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय, कदमकुआँ पटना।	विद्यालय एवं छात्रावास सरकारी भवन में अवस्थित है।	68
2	कामेश्वरी प्रिया पूअर होम, राजकीय नेत्रहीन उच्च विद्यालय, दरभंगा।	विद्यालय एवं छात्रावास सरकारी भवन में अवस्थित है।	58
3	राजकीय नेत्रहीन मध्य विद्यालय, भीखनपुर, भागलपुर।	विद्यालय एवं छात्रावास सरकारी भवन में अवस्थित है।	25

(VI) **मानसिक विकलांग बच्चों के लिए दिवाकालीन विद्यालय 'चमन' का संचालन :–** दरभंगा, छपरा, भागलपुर, सहरसा एवं पूर्णियॉ जिला में गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से संचालन हेतु स्वीकृति प्राप्त है।

(VII) **दृष्टिहीन बालिकाओं के लिए विशेष आवासीय विद्यालय 'दृष्टि' का संचालन** :– 18 वर्ष तक की आयु के नेत्रहीन बालिकाओं के लिए विशेष आवासीय विद्यालय का संचालन दरभंगा, बॉका, पश्चिमी चम्पारण, सुपौल, गया, किशनगंज एवं पटना जिला में गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से संचालन का प्रस्ताव है।

(VIII) **मूक बधिर बालिकाओं के लिए विशेष आवासीय विद्यालय 'कोशिश' का संचालन** :– 18 वर्ष तक की आयु के मूक बधिर बालिकाओं के लिए विशेष आवासीय विद्यालय का संचालन पूर्वी चम्पारण एवं भागलपुर जिला में गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से करने हेतु करने का प्रस्ताव है।

(IX) **मानसिक विकलांग महिलाओं के लिए आश्रय गृह 'आशियाना का संचालन** :– 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मानसिक विकलांग महिलाओं के पुनर्वास हेतु आश्रय गृह का संचालन,

पूर्णियॉ, नवादा एवं दरभंगा जिला में गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से करने हेतु स्वीकृति प्राप्त है।

(x) मानसिक विकलांग पुरूषों के लिए आश्रय गृह 'साकेत का संचालन :– 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के मानसिक विकलांग पुरूषों के पुनर्वास हेतु आश्रय गृह का संचालन, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, एवं सहरसा जिला में गैर सरकारी स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से संचालन करने का प्रस्ताव है।

- **मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना :–**

वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजना का प्रारम्भ किया गया है। इस योजना के तहत निःशक्त पुरूष/महिला के विवाह को प्रोत्साहित करने के लिए अधिकतम परिपक्वता राशि देने वाले राष्ट्रीकृत बैंको सावधि जमा के माध्यम से रू0 50,000/– अनुदान के रूप में देने का प्रावधान है। वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए रू0 50.00 लाख का योजना उद्व्यय/बजट उपलब्ध है।

अन्य प्रक्षेत्र

1. **आसरा :–** उत्तर रक्षा गृह एवं बालिका गृह, (निशांत) गायघाट, पटना में मानसिक विक्षिप्त/मानसिक रूग्ण आवासिनों की उचित देख–रेख, काउन्सिलिंग, शिक्षण–प्रशिक्षण के लिए स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से राज्य के पटना जिला में 50 महिलाओं/लड़कियों की आवासीय क्षमता वाले आसरा गृह का संचालन जागेश्वरी स्मारक मूक एवं वधिर संस्थान, इन्द्रपुरी, रोड संख्या–5, केशरी नगर, पटना में किया जा रहा है
2. **मानव व्यापार रोकने एवं पीड़ितों के पुनर्वास हेतु कार्यक्रम 'अस्तित्व':–** इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य महिलाओं एव ंबच्चों के अनैतिक पणन की रोकथाम एवं उन्मूलन हेतु इससे संबंधित स्त्रोत, पारगमन एवं माँग क्षेत्र में उचित कार्रवाई करना तथा पीड़ितों को पुनर्वासित करना है। मानव व्यापार के रोकथाम हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा पुलिस, स्वैच्छिक संस्थाओं एवं अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के सहयोग से व्यापक अभियान चलाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य 'मानव व्यापार मुक्त बिहार बनाना' है, जहाँ महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों की रक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा बने एवं इसकी रक्षा समाज द्वारा सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना में मानव व्यापार की रोकथाम एवं पीड़ितों के पुनर्वास हेतु अनेक कार्यक्रम संचालित किए जा रहे हैं यथा– महिला हेल्पलाईन, अल्पावास गृह, सामाजिक पुर्नवास कोश इत्यादि। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय मानव व्यापार निरोधी समन्वय समिति का गठन किया गया है। उक्त समन्वय समिति का कार्य मानव व्यापार को रोकने के लिए उचित कदम उठाना, कार्यों का अनुश्रवण एवं पुर्ननिरीक्षण करना है। इसके अतिरिक्त राज्य स्तरीय मानव व्यापार निरोधी अभियोजन अनुश्रवण समिति का गठन किया गया है। मानव व्यापार को रोकने हेतु जिला स्तर पर जिला पदाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय मानव व्यापार निरोधी समिति सभी 38 जिलों में गठित है एवं मानव व्यापार की रोकथाम एवं पीड़ितों के पुर्नवास के लिए कार्य कर रही है। समाज कल्याण निदेशालय अन्तर्गत मानव व्यापार निरोधी कोषांग गठित है, जिसमें मानव व्यापार निरोधी कार्यक्रमों एवं योजनाओं तथा समय–समय पर जारी किए गये दिशा–निदेशों के अनुपालन से संबंधित कार्यों की नियमित समीक्षा की जाती है।
3. **निदेशन एवं प्रशासन :–**समाज कल्याण विभाग का गठन एक स्वतंत्र विभाग के रूप में मंत्रिमंडल सचिवालय के संकल्प सं0–602 दिनांक–20.03.2007 के द्वारा किया गया है। इस पुर्नगठन के क्रम में समाज कल्याण निदेशालय इस विभाग के अधीन कार्यरत है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में कुल रूपये 92.51 लाख का बजट उपबंध है जिसके विरूद्ध अब तक रूपये 53.61 लाख का व्यय किया गया है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017–18 में कुल रूपये 146.67 लाख का बजट उपबंध प्रस्तावित है।

4. प्रदर्शनी, सेमिनार तथा सम्मेलन :–समाज कल्याण निदेशालय द्वारा महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों एवं हेतु चलायी जा रही योजनाओं के प्रचार–प्रसार के लिए सेमिनार, सम्मेलन एवं प्रदर्शनी के आयोजन हेतु वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल रूपये 20.00 लाख का योजना उद्व्यय/बजट उपबंध उपलब्ध है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल रूपये 1.00 लाख का योजना उद्व्यय/बजट उपबंध प्रस्तावित है।

5. क्षेत्रीय पदाधिकारियों का प्रशिक्षणः–विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के पदाधिकारियों के प्रशिक्षण तथा राज्य से बाहर प्रशिक्षण में भाग लेने हेतु राज्य योजनान्तर्गत वर्तमान वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल रूपये 1.00 लाख का योजना उद्व्यय/बजट उपबंध है।

आगामी वित्तीय वर्ष 2017–18 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल रूपये 1.00 लाख का योजना उद्व्यय/बजट उपबंध प्रस्तावित है।

स्टेट सोसाइटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर ('सक्षम')

स्टेट सोसाईटी फॉर अल्ट्रा पूअर एण्ड सोशल वेलफेयर **('सक्षम')**, समाज कल्याण विभाग, बिहार सरकार सोसाईटी रजिस्ट्रेशन ऍक्ट 1860 के अन्तर्गत पंजीकृत है। सोसाईटी का लक्ष्य महिलाओं, बच्चों, वृद्धजनों, विकलांगजनों, अतिनिर्धन वर्गों व भिक्षुकों के अधिकारों तथा उनके हितों की रक्षा करने हेतु नीति–निर्माण के माध्यम से उनका सर्वांगीण विकास तथा सशक्तिकरण करना है।

सोसाईटी के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकास आयुक्त बिहार सरकार की अध्यक्षता में गठित आम सभा /सामान्य निकाय सक्षम की सर्वोच्च नीति निर्माण इकाई है। विभिन्न विभागों के प्रधान सचिव/सचिव, सरकारी संगठन एव विभिन्न सामाजिक संगठनों के अध्यक्ष भी आम सभा/सामान्य निकाय के सदस्य नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाते हैं। प्रधान सचिव/सचिव, समाज कल्याण विभाग की अध्यक्षता में गठित सक्षम की कार्यकारिणी समिति में विभिन्न विभागों/सरकारी संगठनों के सदस्य है, जो कि सक्षम के लक्ष्यों को प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाते हैं। 'सक्षम' द्वारा वृद्धजनों, विधवाओं, दिव्यांगजनों, कुष्ठ रोगियों आदि को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने में सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय के द्वारा विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में निदेशालय का सहयोग किया जा रहा है:

1. मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना :

मुख्यमंत्री भिक्षावृति निवारण योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका मुख्य उद्देश्य राज्य को भिक्षावृति के अभिशाप से मुक्त करना है।

भिक्षुकों के कल्याण के उद्देश्य से राज्य सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना बनायी गयी है, जिसके तहत भिक्षुकों की पहचान कर उनको पहचान–पत्र वितरित करते हुए सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से जुड़ाव स्थापित करना, कौशल प्रशिक्षण के द्वारा रोजगार से जुड़ाव स्थापित करना, वृद्ध, पूर्णतः निःशक्त एवं लावारिस अवस्था में पाए जाने वाले भिक्षुकों को आवासीय सुविधा उपलब्ध कराना एवं नशा विमुक्तिकरण के द्वारा उनका पुनर्वास सुनिश्चित कराना है।

योजना पर जागरुकता निर्माण हेतु मैराथन

योजना की प्रमुख उपलब्धियां :–

(क) **सर्वेक्षण एवं पहचान पत्र वितरणः**–राज्य के 12 जिलों यथा पटना, गया, नालन्दा रोहतास, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, कटिहार, सारण, अररिया, वैशाली एवं पूर्णिया मे भिक्षाटन कर जीवनयापन कर रहे 9879 अति निर्धनों को चिन्हित कर सरकार की विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं यथाः यूआईडी आधार, बैंक खाता, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विकलांगता प्रमाणीकरण तथा जरुरतमंदों को आवश्यक सहायक उपकरण उपलब्ध कराया जा रहे हैं।

(ख) **स्वास्थ्य जाँच एवं विकलांगता प्रमाणीकरण शिविर का आयोजन :**–सर्वेक्षित आँकड़ों के विश्लेषण के आधार पर जिला स्तर पर बृहद् स्वास्थ जाँच शिविरों का आयोजन किया जाता है। इन शिविरों के माध्यम से अब तक कुल 2642 भिक्षुकों को लाभान्वित किया गया है।

(ग) **'सेवा कुटीर' एवं 'शांति कुटीर' (पुर्नवास गृह) की स्थापना :–** पुर्नवास गृहों में महिला एवं पुरूष भिक्षुकों को चिन्हित कर मूलभूत आवश्यक सुविधाएं जैसेः– भोजन, वस्त्र, चिकित्सा एवं परामर्श के साथ आवासीय सुविधा निःशुल्क उपलब्ध करायी जाती है। पटना के अतिरिक्त छः जिलों यथा गया, नालन्दा, रोहतास, मुजफ्फरपुर, दरभंगा एवं पूर्णिया में पुनर्वास गृहों की स्थापना की

जा चुकी है। इन गृहों के माध्यम से 3229 भिक्षुकों को पंजीकृत करते हुए 1982 भिक्षुकों को विभिन्न माध्यमों से पुनर्वासित किया गया। वर्तमान में पुर्नवास गृहों में 667 लाभार्थीगण आवासित हैं।

(घ) **कौशल विकास एवं आवासीय प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापनाः**–भिक्षुकों को प्रशिक्षण एवं कौशल विकास करने के उद्देश्य से पटना जिला मे आवासीय व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र 'कौशल कुटीर' का संचालन किया जा रहा है। इस केन्द्र के माध्यम से 312 भिक्षुकों को पंजीकृत करते हुए 192 भिक्षुकों को प्रशिक्षण के उपरान्त विभिन्न कार्यो यथा होटल, सुरक्षा प्रहरी, निर्माण कार्य आदि में नियोजित किया गया।

(च) **'बसेरा':** पायलट आधार पर पटना के दो मुख्य चिहिन्त स्थलों पर 'बसेरा'(डे–नाइट शेल्टर विथ किचेन) की स्थापना की जा चुकी है। पटना के बाईपास क्षेत्र में अतिनिर्धन पुरुषों हेतु 50 बेड की क्षमता का एवं पुनाईचक, पटना में 20 अतिनिर्धन परिवारों को आवासित करने की क्षमता वाले केन्द्रों की स्थापना की गई है। इन केन्द्रों में आवासित लाभुक वैसे कामगार हैं जो दिनभर के काम के बाद आश्रयहीनता के कारण सार्वजनिक स्थलों पर रात्रि विश्राम करते हैं। इन लाभुकों को निःशुल्क आवासीय सुविधा, शुद्ध पेयजल आदि के साथ–साथ अनुदानित दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है। वर्तमान में उक्त केन्द्रों के माध्यम से 82 अति निर्धनजन लाभान्वित हो रहे हैं।

मीठापुर, पटना स्थित पुरुशों हेतु 'बसेरा' केन्द्र

(छ) **वस्त्र वितरणः** वित्तीय वर्ष 2016–17 में योजना कार्यान्वित सभी 12 जिलों यथाः पटना, गया, नालन्दा रोहतास, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, भागलपुर, कटिहार, सारण, अररिया, वैशाली एवं पूर्णिया में कुल 2510 कम्बल तथा 2510 गर्म वस्त्र (थर्मल इनर वियर) का वितरण योजना के तहत चिन्हित लाभुकों के बीच किया गया है।

(ज) **समुदाय आधारित बचत समूह (सी.बी.एस.जी.) का गठनः** अतिनिर्धन जनों में बचत की आदत का विकास करने एवं उनका सामाजिक–आर्थिक सशक्तीकरण करने के उद्देश्य से समुदाय आधारित बचत समूहों का गठन किया जा रहा है। वर्तमान में चार सी.बी.एस.जी. का गठन कर 42 अतिनिर्धनों के साथ 8226/– रु0 की बचत जमा की गई है।

योजना के तहत पूर्णिया में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन

नुक्कड़ नाटक के माध्यम से योजना के अवयवों का प्रचार–प्रसार

(झ) **उत्पादक समूह** :योजना के तहत चिन्हित लाभुकों को जूट/हैन्डीक्राफ्ट से निर्मित उत्पादों में दक्षता पूर्वक कार्य करने हेतु 44 लाभुकों को प्रशिक्षित कर 'मुक्ता सक्षम उत्पादक समूह' का गठन किया गया है। इनके द्वारा तैयार की गई सामग्रियों की बाजार में बिक्री कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में रु 50.00 लाख के योजना उद्व्यय/बजट उपबंध का शत–प्रतिशत व्यय किया जा चुका है।

2. बिहार समेकित सामाजिक सुरक्षा सुदृढ़ीकरण परियोजना (बी.आई.एस.पी.एस.):

विश्व बैंक सम्पोषित इस योजना का उद्देश्य निःशक्तजनों, वृद्ध एवं विधवाओं के लिए सामाजिक सुरक्षा एवं देखभाल सम्बन्धित सेवाओं की स्थापना तथा विस्तारीकरण एवं सामाजिक सुरक्षा के कार्यक्रमों एवं सेवाओं के संवितरण के सुदृढ़ीकरण हेतु विभागीय क्षमतावर्धन किया जाना है।

योजना की प्रमुख गतिविधियाँ:

बुनियाद केन्द्र का तत्काल संचालनः

– बुनियाद केन्द्र के तत्काल संचालन हेतु बिहार राज्य के 20 जिलों यथा– अररिया, पूर्वी चम्पारण, लखीसराय, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, रोहतास, सारण, सीवान, बांका, भागलपुर, नालंदा, नवादा, किशनगंज, सहरसा, जहानाबाद, जमुई, गोपालगंज, बेगुसराय, समस्तीपुर एवं शेखपुरा में सरकारी भवनों का जीर्णोद्धार पूर्ण कर लिया गया है एवं राज्य के 06 जिलों यथा– पटना, बक्सर, दरभंगा, गया, वैशाली एवं कटिहार में केन्द्र के संचालन हेतु भवनों को किराये पर लिया गया है।

– बुनियाद केन्द्रों के संचालन हेतु उपरोक्त जिलों में अवस्थित 26 भवनों में फर्नीचर आदि की आपूर्ति की प्रक्रिया की जा रही है।

बुनियाद केन्द्र, बेगुसराय

बुनियाद केन्द्र का निर्माणः

– राज्य के 26 जिलों यथा–अररिया, किशनगंज, मुजफ्फरपुर, बक्सर, पश्चिमी चम्पारण, शिवहर, सीतामढ़ी, गोपालगंज, सारण, जमुई, लखीसराय, शेखपुरा, नवादा, गया, कटिहार, पटना, दरभंगा, अरवल, औरंगाबाद, खगड़िया, मुंगेर, नालंदा, मधुबनी, वैशाली, सहरसा एवं सुपौल के 60 अनुमण्डलों में 60 बुनियाद केन्द्रों के निर्माण का कार्य किया जा रहा है। 60 बुनियाद केन्द्रों के निर्माण में 107 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

– पूर्णिया, भागलपुर, बेगूसराय, कैमूर, समस्तीपुर, पूर्वी चम्पारण, मधेपुरा जिलों में बुनियाद केन्द्रों के निर्माण हेतु निविदा निष्पादन की प्रक्रिया की जा रही है।

बुनियाद केन्द्र हेतु उपकरणः

– बुनियाद केन्द्रों में उपकरण यथा– फिजियोथेरैपी उपकरण, एक्सरसाईज उपकरण एवं ऑडियोलॉजिकल उपकरणों की आपूर्ति हेतु अनुबंध किया जा चुका है। 16 बुनियाद केन्द्रों में ऑडियालॉजिकल उपकरणों की आपूर्ति की जा चुकी है।

– बुनियाद केन्द्रों में अन्य उपकरणों अर्थात फिजियोथेरेपी उपकरणों की आपूर्ति एवं एक्सरसाईज उपकरणों की आपूर्ति की प्रक्रिया की जा रही है।

बुनियाद केन्द्र के जिला स्तर कर्मियों का शैक्षणिक भ्रमण

बुनियाद केन्द्र हेतु मानव संसाधनः

– बुनियाद केन्द्रों के संचालन हेतु 23 जिलों में लेखापाल /जिला प्रबंधकों का पदस्थापन किया जा चुका है।

– बुनियाद केन्द्र हेतु तकनीकी कर्मियों के प्रबंधन के लिये आउटसोर्सिंग संस्था के साथ अनुबंध किया जा चुका है।

विश्व बैंक द्वारा जिला स्तर बुनियाद कर्मियों हेतु आयोजित कार्यशाला

– 20 बुनियाद केन्द्रों के संचालन हेतु तकनीकी कर्मियों यथाः सीनियर फिजियोथेरैपिस्ट, फिजियोथेरैपिस्ट, केस मैनेजर, काउन्सर, तकनीशियन, कुक–सह–हेल्पर, ड्राईवर आदि का चयन किया जा चुका है। 20 जिलों में तकनीकी कर्मियों के पदस्थापन की प्रक्रिया की जा रही है।

बुनियाद केन्द्र हेतु मोबाईल थैरेपी वैनः

– मोबाईल थैरेपी वैन के संशोधित प्रोटोटाईप का प्रदर्शन माह जनवरी, 2017 में किया गया। निरीक्षण उपरांत 20 मोबाईल थैरेपी वैन की आपूर्ति की जानी है। इस हेतु रू0 31.00 करोड़ रुपये का व्यय किया जाना है।

सामाजिक सुरक्षा पेंशन हेतु एम.आई.एस.:

– सामाजिक पेंशन योजनाओं हेतु एम.आई.एस. एवं डेटा सेंटर की स्थापना की जा चुकी है। एम.आई.एस. का पायलट जहानाबाद एवं शिवहर जिलों में पूर्ण किया जा चुका है।

प्रचार–प्रसारः

– परियोजना के प्रचार–प्रसार हेतु प्रचार सामग्रियों यथा पोस्टर, पर्चा, होर्डिंग आदि का विकास किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त व्यापक स्तर पर तथा विविध माध्यमों से प्रचार–प्रसार हेतु एजेंसी चयन के लिए प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है।

दिव्यांगजनों हेतु समावेशी शिक्षा पर कार्यशाला

क्षमतावर्द्धनः

– सामाजिक सुरक्षा योजनाओं अन्तर्गत हितभागियों की क्षमतावर्धन हेतु आंकलन किया गया है। इसके अतिरिक्त व्यापक स्तर पर क्षमता वर्द्धन हेतु एजेंसी चयन के लिए टी.ओ.आर. आदि का विकास किया जा चुका है।

अनुश्रवण एवं मूल्यांकनः

– परियोजना के अन्तर्गत अनुश्रवण एवं मूल्यांकन हेतु एजेंसी चयन के लिए प्राप्त प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है। चयनित एजेंसी के द्वारा मूल्यांकन रणनीति का विकास किया जाएगा।

नीति दस्तावेजः

– बिहार राज्य निःशक्तजन नीति एवं बिहार राज्य वृद्धजन नीति का प्रारुप तैयार कर लिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2016–17 में इस योजना के कार्यान्वयन हेतु 9580 लाख रु. प्रावधानित हैं।

वर्ष 2016–17 में 'सक्षम' द्वारा आयोजित महत्वपूर्ण कार्यक्रम

विश्व दिव्यांग दिवस, 2016 के अवसर पर राज्य स्तर कार्यक्रम

3 दिसम्बर, 2016 को विश्व दिव्यांगता दिवस के अवसर पर सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय तथा 'सक्षम' के संयुक्त प्रयास के रूप में मौलाना मज़हरुल हक सभागार, पटना में एक राज्य–स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें पटना के विभिन्न विशेष विद्यालयों के

दिव्यांग दिवस, 2016 का उद्घाटन

दिव्यांगता पर विचार प्रस्तुत करते पूर्व निःशक्तता आयुक्त

तकरीबन 400 दिव्यांग बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम की शुरुआत राज्य नेत्रहीन विद्यालय, कदमकुंआ के बच्चों द्वारा प्रस्तुत स्वागत गान से हुई। अतिथियों तथा प्रतिभागियों का स्वागत करते हुए श्री रमाशंकर दफ्तुआर, निदेशक सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता ने कहा कि दिव्यांगजनों की बेहतर स्थिति सुनिश्चित करने के सबसे पहले आवश्यक है कि उनके प्रति समाज का व्यवहार सकारात्मक बने, आम लोगों में उनके प्रति संवेदनशीलता हो। इस विषय पर जन–जागरुकता निर्माण के लिए समाज के हर वर्ग को आगे आने की आवश्यकता है।

अपने क्षेत्र में उपलब्धि हासिल करने वाले दिव्यांगजनों का सम्मान

दिव्यांग जनों के कल्याणार्थ चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी देते हुए समाज कल्याण विभाग की प्रधान सचिव श्रीमती वन्दना किनी ने कहा कि दिव्यांग जनों की सेवा एवं उनकी देखभाल के लिए राज्य–सरकार निरंतर रुप से प्रयासरत है। उन्होंने कहा कि विधवाओं, वृद्धजनों तथा दिव्यांग जनों की सामाजिक देखभाल हेतु विभाग द्वारा राज्य के सभी 101 अनुमंडलों में बुनियाद केन्द्र नामक सामाजिक देखभाल केन्द्रों की स्थापना प्रक्रियाधीन है। दूरस्थ क्षेत्रों के लाभुकों को सेवा प्रदान करने के लिए मोबाइल वैन सेवा होगी जिसके माध्यम से दूर–दराज़ के क्षेत्रों में रह रहे लाभुकों की पहचान की जाएगी और उन्हें बुनियाद केन्द्रों से जोड़ा जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रथम चरण के बुनियाद केन्द्रों की शुरुआत जल्द ही की जाएगी। श्री इमामुद्दीन अहमद, मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, 'सक्षम' द्वारा दिव्यांगजनों के विकास एवं कल्याण हेतु बिहार सरकार के विभिन्न प्रयासों एवं योजनाओं पर एक प्रस्तुतीकरण प्रस्तुत किया गया।

इस अवसर पर समाज के विभिन्न वर्गों को दिव्यांगता के विभिन्न मुद्दों पर जानकारी देने के उद्देश्य से एक कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें राज्य के लब्धप्रतिष्ठित विषय–विशेषज्ञों ने इस विषय पर अपने विचार एवं अनुभव प्रस्तुत किए। अपने भाषण में श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, माननीया मंत्री, समाज कल्याण ने कहा कि दिव्यांग जन प्रतिभा के मामले में कभी किसी से कम नहीं होते, यदि परिवार और समाज का थोड़ा सा सहयोग मिले तो वह भी देश और समाज

दिव्यांग बच्चों द्वारा सांकृतिक कार्यक्रम

के लिए उपयोगी संसाधन के रुप में सामने आ सकते हैं। दिव्यांग जनों की प्रतिभा याद कराते हुए उन्होंने कहा कि वर्श 2014 की आई.ए.एस टॉपर सुश्री ईरा सिंघल एक आदर्श हैं जिन्होंने अपने हौसले से दिव्यांगता को मात दी है। इस अवसर पर अपने–अपने क्षेत्र में उपलब्धियां हासिल करने वाले दिव्यांगजनों को विभाग की ओर से सम्मानित किया गया।

महिला हेल्पलाईन सेन्टर का जिलावार ब्यौरा

क्र0	जिला का नाम	हेल्प लाईन का पता	परियोजना प्रबंधक सह संरक्षण पदाधिकारी	सम्पर्क सूत्र
1	अररिया	महिला हेल्प लाईन, समाहरणालय, अररिया	श्रीमती मधुलत्ता कुमारी	9771468001
2	अरवल	महिला हेल्प लाईन, समाहरणालय, अरवल	श्रीमती सिम्पु कुमारी	9771468002
3	औरंगाबाद	महिला हेल्प लाईन, समाहरणालय, औरंगाबाद	श्रीमती कान्ति कुमारी	9771468003
4	बेगूसराय	महिला हेल्प लाईन, समाहरणालय, बेगूसराय	श्रीमती वीणा कुमारी	9771468005
5	भागलपुर	कोशांग, भागलपुर , पुलिस अधीक्षक कार्यालय, कचहरी रोड, भागलपुर	रिक्त	9771468006
6	भोजपुर	महिला हेल्प लाईन, मधुबाग, नवादा (लाला टोली) आरा, भोजपुर	श्रीमती अनुपमा श्रीवास्तव	9771468007
7	बक्सर	महिला हेल्प लाईन, समाहरणालय, बक्सर	श्रीमती प्रमिला कुमारी	9771468008
8	प0 चम्पारण	महिला हेल्प लाईन, समाहरणालय, बेतिया	श्रीमती बिन्दु राजभर	9771468009
9	दरभंगा	महिला हेल्प लाईन, समाहरणालय, दरभंगा	अजमतुन निशा	9771468010
10	गया	महिला हेल्प लाईन, समाहरणालय, गया	श्रीमती आरती कुमारी	9771468011
11	गोपालगंज	महिला हेल्प लाईन, समाहरणालय, गोपालगंज	श्रीमती नाजीया मुमताज	9771468012
12	जमूई	महिला हेल्प लाईन, समाहरणालय, जमूई	श्रीमती कुमारी नीभा	9771468013
13	जहानाबाद	महिला हेल्प लाईन, समाहरणालय, जहानाबाद	श्रीमती ज्योतसना कुमारी	9771468014
14	कैमूर	महिला हेल्प लाईन 10, चकबंदी रोड, डॉ0 मंगला सिन्हा आवास के नजदीक, भभूआ, कैमूर	श्रीमती कुमारी विनीता गुप्ता	9771468015
15	कटिहार	महिला हेल्प लाईन, समाहरणालय, कटिहार	श्रीमती मनीलत्ता	9771468016
16	किशनगंज	महिला हेल्प लाईन, लाईन गुलवस्ती काजग मनी रोड, कबीर चौक, सुभाश पाली, किशनगंज	रिक्त	9771468017
17	मधेपुरा	महिला हेल्प लाईन, समाहरणालय, मधेपुरा	श्रीमती प्रियंका कुमारी	9771468018
18	मधुबनी	महिला हेल्प लाईन, समाहरणालय, मधुबनी	श्रीमती रंजना झा	9771468019
19	मूगेंर	महिला हेल्प लाईन,	श्रीमती शिप्रा कुमारी	9771468020

		समाहरणालय, मूगेंर		
20	मुजफ्फरपुर	महिला हेल्प लाईन, समाहरणालय, मुजफ्फरपुर	श्रीमती रूपा देवी	9771468021
21	नालंदा	महिला हेल्प लाईन, समाहरणालय, नालंदा	रिक्त	9771468022
22	नवादा	महिला हेल्प लाईन, समाहरणालय, नवादा	श्रीमती राज कुमारी देवी	9771468023
23	पटना	हेल्प लाईन, पटना निचला तल, इन्दिरा भवन, आर0सी0 सिंह, पथ, पटना	श्रीमती प्रमिला कुमारी	9771468024
24	पूणियॉ	महिला हेल्प लाईन, कैलाशपुरी, श्रीनगर हाता, पूर्णियॉ	श्रीमती अनीता कुमारी	9771468025
25	रोहतास	महिला हेल्प लाईन, समाहरणालय, रोहतास	आफरिन तरनुम	9771468026
26	सहरसा	महिला हेल्प लाईन, समाहरणालय, सहरसा	श्रीमती पुष्पा कुमारी	9771468027
27	सारण	महिला हेल्प लाईन, समाहरणालय, सारण	श्रीमती मधुबाला	9771468028
28	सीतामढ़ी	महिला हेल्प लाईन, द्वारा स्व0 टेकनाथ झा, आजाद चौक डुमरा सीतामढ़ी	श्रीमती पुष्पा कुमारी	9771468030
29	सीवान	महिला हेल्प लाईन, रेड कॉस, सीवान	श्रीमती उषा किरण	9771468031
30	शेखपुरा	महिला हेल्प लाईन, समाहरणालय, शेखपुरा	श्रीमती अर्पिता कुमारी	9771468032
31	शिवहर	महिला हेल्प लाईन, समाहरणालय, शिवहर	श्रीमती रीना सिंह	9771468033
32	सुपौल	महिला हेल्प लाईन, विकास भवन अनुमंडल कार्यालय, सुपौल	श्रीमती प्रतिभा कुमारी	9771468034
33	वैशाली	महिला हेल्प लाईन, अनुमंडल कार्यालय, वैशाली	श्रीमती प्रियंका कुमारी	9771468035
34	पूर्वी चम्पारण	महिला हेल्प लाईन, समाहरणालय, मोतिहारी	श्रीमती कुमारी अर्पिता	9771468040
35	समस्तीपुर	महिला हेल्प लाईन, ताजपुर, समस्तीपुर	श्रीमती कुमारी अर्चना	9771468028
36	खगड़िया	महिला हेल्प लाईन, समाहरणालय, खगड़िया	श्रीमती रूबी सीमा	9608392756
37	बांका	महिला हेल्प लाईन, बाल विकास परियोजना कार्यालय, बांका सदर, बांका	बाल विकास परियोजना पदाधिकारी	9771468004
38	लखीसराय	महिला हेल्प लाईन, समाहरणालय, लखीसराय	जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, लखीसराय	9431005054